[2019] 11 एस. सी. आर 295

दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे

वी.

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1110-1111 2015)

फरवरी 21,2019

[एन. वी. रमना, दीपाक गुप्ता और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 302 , 376 (2) (च), 377,363,364,367 और 201 आर/डब्ल्यूएसएस। 3,4,5 (i) बच्चों के संरक्षण का (l) और (m)

यौन अपराध अधिनियम, 2012 से-नाबालिग बच्चे का बलात्कार और हत्या-निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि-मौत की सजा-उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय में दोषसिद्धि और सजा की अपील की पुष्टि की-आयोजितः

फोरेंसिक रिपोर्टों के साथ-साथ अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति को देखते हुए, दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, हालांकि, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अभियुक्त का इरादा पीड़ित को मारने का था, यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त द्वारा अपराध करने के लिए कोई शैतानी योजना बनाई गई थी या हत्या पूर्व नियोजित थी-इसलिए, मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है, अभियुक्त का प्रभावी ढंग से बचाव भी नहीं किया गया था -

निचली अदालतों के समक्ष-अभियुक्त ने न तो कम करने वाली परिस्थितियों को दर्ज करने की मांग की और न ही उसे अवसर दिया गया-निचली अदालत ने इस बात पर विचार किए बिना कि क्या मौत की सजा का कोई विकल्प नहीं था या मौत की सजा के अभाव में, अभियुक्त को धमकी दी जाएगी, मौत की सजा का चरम दंड लगाया।

समाज के लिए या क्या अभियुक्त में सुधार किया जा सकता है-अभियुक्त को सजा के तहत एक प्रभावी और सार्थक सुनवाई से वंचित कर दिया गया है। 235 (2) Cr.P.C.-इसलिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया जाता है।

अपराध की जघन्य, विद्रोही, घृणित और घृणित प्रकृति के आरोपी को सजा-सजा/सजा-मौत की सजा-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की किसी भी छूट के बिना अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास से गुजरने का निर्देश दिया जाता है। 235 (2) .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 235 (2) - आयोजित होने का क्षेत्रः प्रावधान यू/एस। 235 (2) ए नहीं है

केवल औपचारिकता और अक्षर और भावना में पालन किया जाना चाहिए

यह है।

विचारण न्यायाधीश की ओर से सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनना और उससे निपटना अनिवार्य है-प्रभावी सुनवाई के लिए। 235 (2) यह सुझाव कि न्यायालय मृत्युदंड देने का इरादा रखता है, विशेष रूप से अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, ताकि

मृत्युदंड के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए अभियुक्त, न्यायालय के समक्ष कम करने वाली परिस्थितियों को रखते हुए-भले ही ऐसा हो

अभियुक्त की ओर से मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, अदालत खुद ही दोषपूर्ण परिस्थितियों के अस्तित्व के सवाल से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए बाध्य है-सजा/सजा।

सजा/सजाः

आजीवन कारावास कारावास की अवधि-निर्धारण

में से

आयोजित किया गयाः यह न्यायालय के लिए अवधि निर्धारित करने के लिए खुला है

कारावास, विशेष रूप से उन मामलों में जहां मौत की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया गया है।

आयोजित किया गयाः जीवन.

आजीवन कारावास कारावास की अवधि

कारावास का अर्थ है पूरे जीवन के लिए कारावास।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. हालांकि, सबूत में कुछ भी नहीं है

पीडब्लू-12 और पीडब्लू-18 के साक्षय और पीडब्लू संख्या के कमजोर साक्षय को छोड़कर किसी भी गवाह के लिए। 4 और 5 अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी साबित करने के लिए पीडब्लू-10 द्वारा कथित रूप से पुष्ट किए जाने के लिए

कथित अपराधों में से, फोरेंसिक रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साथ-साथ उसकी पत्नी पीडब्लू 18 के लिए अपीलकर्ता, स्पष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करता है। फोरेंसिक निदेशालय की रिपोर्टों की जांच

प्रयोगशालाएँ, भूतपूर्व। संख्या 22 से 25 और विशेष रूप से Ex.25 में परीक्षण रिपोर्ट इंगित करती है कि प्लास्टिक की थैली पर पाए गए रक्त की डीएनए प्रोफ़ाइल और पीड़ित के नाखूनों से प्राप्त कपड़े समान हैं और महिला मूल के एक ही स्रोत से हैं। पीड़ित के अंडरवियर (बरमूडा), बेडशीट, योनि के स्वाब और गुदा के स्वाब पर पाए गए वीर्य का डीएनए प्रोफाइल समान है और दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे v से।

महाराष्ट्र राज्य

पुरुष मूल का एक ही स्रोत। डी. एन. ए. विश्लेषण उचित संदेह से परे स्थापित करता है कि पीड़ित का बलात्कार अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा किया गया था। इसलिए, का विश्वास

पुष्टि की। [पारस 85,86 और 96] [322-बी-ई; 324-जी] 2.1 वर्तमान मामले में, अपराध करने के लिए किसी भी शैतानी योजना का कोई सबूत नहीं है, हालांकि अपराध था

निस्संदेह क्रूर और जघन्य। किन परिस्थितियों में पीड़ित ने अभियुक्त-अपीलार्थी के आवास में प्रवेश किया, यह ज्ञात नहीं है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी पीड़ित को अपने घर ले गया था। हालाँकि इसकी संभावना नहीं है, वह हो सकती है

यहाँ तक कि अकेले उसके घर भी गए हैं। [पैरा 122] [336-ई]

2.2 पचास वर्ष से अधिक आयु के एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में, अभियुक्त अपीलार्थी को पता होना चाहिए कि पाँच वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है।

2.3 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर ने कहा कि मौत का कारण दम घुटने के कारण दम घुटना, सिर की चोट और यौन हमले से जुड़ा था। उन्होंने पदच्युत किया कि सभी 5 चोटें बार-बार यौन कृत्यों और बलपूर्वक प्रवेश से संभव थीं। उन्होंने कहा कि सभी चोटें सामान्य रूप से तत्काल मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साक्षय को देखते हुए यह उचित होगा। सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदलने के लिए। [पारस 128 और 130] [337-ई, एच] [2019] 11 एस. सी. आर.

2.4 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 5 साल का बलात्कार और हत्या

बूढ़ी लड़की अंतरात्मा को झकझोर देती है। यह बर्बर है। हालाँकि, इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि हत्या पहले की गई थी ध्यान किया। याचिकाकर्ता के पास कोई हथियार नहीं था। इसकी संभावना

कि अभियुक्त-अपीलार्थी को शायद यह एहसास न हो कि उसके कार्य से मृत्यु हो सकती है, इससे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से इस सवाल पर विचार नहीं किया है कि क्या अपराध दुर्लभतम अपराधों में से दुर्लभतम है। [पैरा 131] [338-ए-बी]

2.5 वर्तमान मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा, अभियुक्त-अपीलार्थी का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं किया गया था। अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील

अपीलार्थी ने केवल इस बात पर जोर देते हुए कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और केवल अभियुक्त-अपीलार्थी की उम्र के आधार पर नरमी की मांग की जो 53 वर्ष थी। अभियुक्त-अपीलार्थी ने न तो अनुरोध किया और न ही उसे कोई हलफनामा दायर करने का अवसर दिया गया, जो अभिलेख में प्रासंगिक शमन प्रस्तुत करता है।

परिस्थितियाँ। अभियुक्त द्वारा ली गई कानूनी सहायता

2.6 पाँच साल के बच्चे के खिलाफ अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने मौत की चरम सजा सुनाई यह निर्णय किए बिना कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी को मृत्युदंड देने का कोई विकल्प नहीं था। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि मृत्युदंड के अभाव में अभियुक्त अपीलार्थी समाज के लिए खतरा बना रहेगा। यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी में सुधार किया जा सकता है, इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। [पैरा 138] [339-सी]

बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 -

पीछा किया। राजेश कुमार बनाम। राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से) (2011) 13 एस. सी. सी. 706 माछी सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470: [1983] 3 एससीआर 413;

संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम।

दत्तात्रेय राज्य @दत्त एंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र (2009) 6 एस. सी. सी. 498: [2009] 9 एससीआर 90; अजय पंडित और एक अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 43 [2012] 10 एस. सी. आर. 70; मोहिंदर सिंह बनाम।

पंजाब राज्य (2013) 3 एस. सी. सी. 295: [2013] 3 एससीआर 90; पंची और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 एससीसी

177 : [1998] 1 पूरक। एस. सी. आर. 40; बंटू बनाम। एम. पी. राज्य (2001) 9 एस. सी. सी. 615; अमित वी. महाराष्ट्र राज्य (2003) 8 एससीसी 93: [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 285; राहुल बनाम की स्थिति

महाराष्ट्र (2005) 10 एस. सी. सी. 322; सुरेंद्र पाल

शिवबलकपाल बनाम। गुजरात राज्य (2005) 3 एससीसी 127: [2004] 4 पूरक। एससीआर 464; मुकेश और एक अन्य बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2017) 3 एस. सी. सी. 717; मो.

मनन @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य

2019 ए. आई. आर. 2934 हारू घोष बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2009) 15 एससीसी 551: [2009] 13 एस. सी. आर. 847; लेहना बनाम। हरियाणा राज्य (2002) 3 एससीसी 76: [2002] 1 एससीआर

377 ; राजेन्द्र प्रहलादराव वासनिक बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र समीक्षा याचिका (सीआरएल) नं. 306-307 का

2013 पर भरोसा किया।

3.1 सी. आर. पी. सी. की धारा 235 (2) केवल औपचारिकता नहीं है। अभियुक्त को सुनना विचारण न्यायाधीश की ओर से अनिवार्य है।

सजा का प्रश्न और उससे निपटना। सी. आर. पी. सी. की धारा 235 (2) के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाना था। [पैरा 103 और 105] [327-ई; 329-डी]

सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 190: [1977] 1 एस. सी. आर. 229; डागडू और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 3 एससीसी 68: [1977] 3 एससीआर 636

पर भरोसा किया।

3.2 चाहे ये मुद्दे अभियुक्त की ओर से उठाए गए हों या नहीं, न्यायालय स्वयं ही शमन के अस्तित्व के प्रश्न से संबंधित तथ्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

परिस्थितियाँ। न्यायालय ने सजा से संबंधित किसी भी तथ्य को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया। धारा 235 (2) Cr.P.C के तहत प्रभावी सुनवाई के लिए, यह सुझाव कि अदालत का इरादा मौत की सजा देने का है, विशेष रूप से आरोपी को दिया जाना चाहिए, ताकि आरोपी मौत [2019] 11 एस. सी. आर. के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सके।

सजा, न्यायालय के समक्ष कम करने वाली परिस्थितियों को रखते हुए।

वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने प्रासंगिक तथ्यों को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया, न ही ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड पर कम करने वाले कारकों को रखते हुए एक हलफनामा दायर करने का कोई अवसर दिया। इस प्रकार याचिकाकर्ता को Cr.P.C की धारा 235 (2) के तहत सजा के सवाल पर एक प्रभावी और सार्थक सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है - इस आधार पर आजीवन कारावास। [पारस 139,140 और 141] [339-डी-जी]

4. यह न्यायालय के लिए अवधि निर्धारित करने के लिए खुला है

कारावास। यह विशेष रूप से उन मामलों में सच है जहां मौत की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया गया है। भले ही आजीवन कारावास का अर्थ है पूरे जीवन के लिए कारावास, दोषियों को अक्सर 14 साल से कम के कारावास के बाद छूट और/या सजा में छूट दी जाती है। अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध की जघन्य, विद्रोही, घृणित और घृणित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को दंड का सामना करना चाहिए।

आजीवन कारावास, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक और कोई छूट नहीं

उसे सजा दी जाए। [पारस 143 और 144] [340-ए-सी]

मुल्ला और एक अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 508:

[2010] 2 एस. सी. आर. 633-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

पीछा किया।

पै

रा 99

(2011) 13 एस. सी. सी. 706

पर भरोसा किया।

पै

रा 100

[1977] 1 एससीआर 229

पर भरोसा किया।

पै

रा 103

[1977] 3 एससीआर 636

पर भरोसा किया।

पै

रा 104

[1983] 3 एससीआर 413

पर भरोसा किया।

पै

रा 106

[2009] 9 एससीआर 90

पर भरोसा किया।

पै

रा 107

[2012] 10 एससीआर 70

पर भरोसा किया।

पै

रा 108

[2013] 3 एससीआर 90

पर भरोसा किया।

पै

रा 109

[1998] 1 पूरक। एससीआर 40

पर भरोसा किया।

पैरा 110 दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2001) 9 एस. सी. सी. 615

पर भरोसा किया।

पै

रा 111

[2003] 2 पूरक। एससीआर 285

पर भरोसा किया।

पै

रा 112

(2005) 10 एस. सी. सी. 322

पर भरोसा किया।

पै

रा 113

[2004] 4 पूरक। एससीआर 464

पर भरोसा किया।

पै

रा 114

(2017) 3 एस. सी. सी. 717

पर भरोसा किया।

पै

रा 115

आर. पी. 2013 का (सी. आर. एल.) No.306-307 निर्भर था।

पै

रा 118

पर भरोसा किया।

पै

रा 118

2019 एयर 2934

[2009] 13 एससीआर 847

पर भरोसा किया।

पै

रा 119

[2002] 1 एससीआर 377

पर भरोसा किया।

पै

रा 121

[2010] 2 एससीआर 633

पर भरोसा किया।

पै

रा 143

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

नं. 1110-1111 2015 से।

उच्च न्यायालय के 21/24/25.03.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक अपील संख्या 1202 और 2013 की आपराधिक पुष्टि मामले संख्या 6 में बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय।

गौरव अग्रवाल, अंशु राज सिंह, हिमांशु अग्रवाल,

सुश्री प्योली, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. ये अपीलें अंतिम निर्णय और दिनांकित आदेश के खिलाफ हैं।

21 / 24 / 25-3-2014 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1202/2013 की आपराधिक पुष्टि मामले संख्या 6 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय की न्यायपालिका की, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307,363,364,367 और 201 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3,4,5 (i) (1) और (m) के तहत भी (जिसे इसके बाद इस रूप में संदर्भित किया गया है)

' पॉक्सो) और, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी पर लगाए गए मृत्युदंड की पुष्टि की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य घृणित हैं। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी दूसरे अभियोजन गवाह (पीडब्लू) होने के नाते कोपरीगांव में शिवसेना कार्यालय के पास ओम साई भवन के भूतल पर कमरा संख्या 3 में अपने 10 साल के बेटे और 7 साल और 5 साल की दो बेटियों के साथ रहते थे। 3. यह शिकायतकर्ता का मामला है कि वह और उसकी पत्नी (पीडब्लू 2), तीन बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाते थे। 22.1.2013 पर,

पीडब्लू 2 को अपने पिता से मिलने के लिए अपने पैतृक घर जाना पड़ा। जब पीडब्लू 2 दोपहर लगभग 2 बजे घर लौटी तो उसने पाया कि उसकी सबसे छोटी बेटी, पीड़ित होने के कारण, वह घर पर नहीं था। यह मानते हुए कि पीड़िता कहीं पास में खेल रही होगी, पीडब्लू 2 दोपहर लगभग 2.15 बजे काम पर चला गया। लगभग 4:30 से 5 बजे पीडब्लू 2 को उसके मोबाइल फोन पर एक अवधड़े मामा का फोन आया, जिसमें उसे बताया गया कि पीड़िता घर पर नहीं है। इसके बाद पीडब्लू 2 घर लौट आया और पीड़ित की तलाश शुरू कर दी। उसने शिकायतकर्ता के साथ-साथ अपने माता-पिता से भी मोबाइल पर संपर्क किया।

4. इसके बाद शिकायतकर्ता, पीडब्लू 2, उसकी माँ और भाई सभी ने कोपरीगांव, वाशी और सानपाड़ा क्षेत्रों में पीड़िता की तलाश शुरू कर दी।

चूंकि पीड़ित नहीं मिला, इसलिए एपीएमसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई।

5. जब शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी (पीडब्लू 2) पीड़ित का पता लगाने के लिए उग्र प्रयासों के बाद लगभग 2:30 बजे घर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि पीड़ित नग्न पड़ा हुआ था और अभी भी अपने घर के दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था। आंदोलन।

6. शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को बताया कि उसकी बेटी (पीड़ित) बिना किसी हलचल के लेटी हुई पाई गई थी। शिकायतकर्ता और पीडब्लू 2 पीड़ित को नवी के पास ले गए

मुंबई नगर निगम अस्पताल, जहाँ चिकित्सा अधिकारी ने पीड़िता की जाँच की और उसे 'मृत लाया' घोषित कर दिया। 7. अस्पताल में शिकायतकर्ता ने पीड़ित के शरीर पर चोटों को देखा। दोनों कंधों और दोनों जांघों पर लाली थी।

पीड़ित, और पीड़ित की योनि और गुदा में घाव। जाँच के लिए अस्पताल आए एपीएमसी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के साथ शिकायतकर्ता एपीएमसी पुलिस स्टेशन गया और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके आधार पर अपराध संख्या 120/2013 एपीएमसी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई थी।

8. पीड़ित के शव की जांच की गई और शव की तस्वीरें ली गईं। चोटें आई थीं। मृतक की योनि और गुदा में घाव हो गया था और खून बह रहा था। 23.1.2013 पर, डॉ. भूषण जैन ने डॉ. प्रेरणा ठाकुर की सहायता से मृतक पीड़ित का पोस्टमार्टम किया। डॉ. भूषण जैन ने निजी भाग, गुदा, आँख के ढक्कन के नीचे और ऊपरी होंठ के ऊपर भी चोटें देखी। उन्होंने मृतक पीड़ित का रक्त एकत्र किया

डी. एन. ए. मानचित्रण और समूहीकरण और शुक्राणुओं का पता लगाने के लिए उनकी योनि और गुदा के स्वाब को भी एकत्र किया। नमूनों को रासायनिक विश्लेषण के लिए रखा गया था।

9. डॉ. भूषण जैन जिन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की (प्रदर्शनी)

48) राय दी कि पीड़ित की मृत्यु का कारण दम घुटने के कारण दम घुटना, सिर की चोट और यौन हमले से जुड़ा था। डॉ. भूषण जैन ने अपदस्थ किया कि सभी पाँच चोटें बार-बार यौन क्रियाओं और बलपूर्वक प्रवेश से संभव थीं। उन्होंने कहा कि ये सभी चोटें सामान्य रूप से तत्काल मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। 10. इस बीच, 23.1.2013 पर जाँच शुरू हुई। पीडब्लू 26 जाँच अधिकारी था। 23.1.2013 पर शाम करीब 7.15 बजे,

जिस स्थान पर मृतक पीड़ित पाया गया था, उसका पंचनामा (Ex.30) परशुराम महादु ठाकुर की उपस्थिति में दर्ज किया गया था, जिन्होंने दसवें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 10) के रूप में गवाही दी थी। मौके पर प्लास्टिक के साथ सर्फ एक्सेल का एक प्लास्टिक बैग और सीडी के दो टुकड़े पाए गए। इन्हें अलग से जब्त कर लिया गया और पंचनामा (Ex.30) के तहत पैक और सील कर दिया गया।

दोपहर से शाम 6 बजे तक स्कूल में होना। अभियुक्त-अपीलार्थी के परिवार के अन्य सभी सदस्य दिन में काम पर जाते थे। अभियुक्त-अपीलार्थी घर पर अकेला रहता था। 13. अभियोजन पक्ष का मामला है कि दोपहर में, आरोपी-अपीलार्थी पीड़िता को अपने घर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया जिससे उसके सिर पर चोट लगी और [2019] 11 एस. सी. आर.

उसका दम घोंटते हुए, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उसी रात में

14. पी. डब्ल्यू. 7 ने पारिवारिक चिकित्सक होने के नाते लगभग 7:30/8 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी की जाँच की और पाया कि अभियुक्त अपीलार्थी तनावग्रस्त था और उसका रक्तचाप उच्च था। द हेड

सप्ताह में दो से चार बार उसकी सहमति के बिना। इसके अलावा, 2004 में, जब अभियुक्त-अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्य गाँव दुधनोली में रह रहे थे, तो अभियुक्त-अपीलार्थी ने एक महिला, सुवर्णा (पीडब्लू 6) की विनम्रता को उस समय आहत किया था जब वह प्रकृति की पुकार पर ध्यान दे रही थी। यह आरोप लगाया जाता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को उपरोक्त घटना के कारण ग्रामीणों द्वारा पीटा गया था। अभियुक्त-अपीलार्थी और उसका पूरा परिवार, इसलिए, गाँव दुधनोली को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा।

16. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी-अपीलार्थी की पृष्ठभूमि और घटना के बाद उसके आचरण पर विचार करते हुए, पीडब्लू 19

सन्देह हुआ कि अभियुक्त-अपीलार्थी वह अपराधी हो सकता है जिसने भयानक अपराध किया था। 17. 24.01.2013 पर, पीडब्लू 19 ने हेड कांस्टेबल, गेजाज (पीडब्लू 15) से संपर्क किया और उसे बताया कि उसे आरोपी-अपीलार्थी के दोषी होने का संदेह है। इसके बाद, 24.01.2013 की रात को, उक्त हेड कांस्टेबल, गेजगे, (पीडब्लू 15) और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, कंबले आरोपी अपीलार्थी को पूछताछ के लिए अपराध शाखा के कार्यालय ले गए। 25.01.2013 पर, अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके व्यक्ति पर कपड़े, यानी, नीले रंग की पूर्ण पैंट, बरमूडा पैंट और एक पीली शर्ट पंचनामे के तहत जब्त की गई थी, जिसे एक्स चिह्नित किया गया है। (प्रदर्शनी) 28. 25.01.2013 पर, जांच अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, भोंग, 26वें अभियोजन दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम हैं।

गवाह (पीडब्लू 26), फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम के साथ अभियुक्त-अपीलार्थी के घर गया और पंचों, फोरेंसिक प्रयोगशाला दल और अभियुक्त की बेटी-अपीलार्थी, निशा (पीडब्लू 20) की उपस्थिति में घर की तलाशी ली।

19. शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने पीड़ित के माता-पिता होने के नाते उसके कपड़ों की पहचान की। यह आरोप लगाया गया है कि 27.01.2013 पर, विनोद और संजय चौथे और पांचवें अभियोजन गवाह होने के नाते जाँचकर्ता से संपर्क किया अधिकारी, भोंग (पीडब्लू 26) ने उन्हें बताया कि 22.01.2013 पर, उनकी 10वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 10), परशुराम के कार्यालय में एक बैठक हुई, जो ओम साई भवन से लगभग 15 फीट दूर एक इमारत में स्थित थी। इन गवाहों ने पुलिस को बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे कार्यालय से बाहर आने के बाद वे एक पार्किंग शेड के नीचे खड़े थे और बात कर रहे थे। उस समय, उन्होंने एक छोटे से बूढ़े आदमी को एक सफेद थैला लिए सीढ़ी के किनारे से आते हुए और एक गली में जाते हुए देखा। आदमी ने थैले को उस गली में रखा जो पार्किंग शेड के सामने थी।

20. पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 ने परीक्षण पहचान में अभियुक्त-अपीलार्थी की पहचान उसी व्यक्ति के रूप में की, जिसने थैले को गली में रखा था।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट, रत्नागिरी (पीडब्लू 21) द्वारा आयोजित परेड। यह बैग आरोपी-अपीलार्थी के कहने पर पंचनामे के तहत बरामद किया गया था और एक पैकेट (Ex.35 और Ex.36) में पैक किया गया था। पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 दोनों ने बैग की पहचान उसी बैग के रूप में की जिसे आरोपी-अपीलार्थी द्वारा ले जाया गया था और गली में फेंक दिया गया था।

21. यह कहा गया है कि 29.01.2013 पर, अभियुक्त-अपीलार्थी था

नवी मुंबई नगर निगम अस्पताल (पीडब्लू 16) में हताहत चिकित्सा अधिकारी डॉ. ठाकुर के सामने पेश किया गया। डॉ. ठाकुर ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रदान किए गए दो प्लास्टिक पात्रों में अभियुक्त-अपीलार्थी का रक्त एकत्र किया, प्लास्टिक पात्रों वाले पैकेट को सील कर दिया, पहचान पत्र में भरा, [2019] 11 एस. सी. आर. की तस्वीर को सत्यापित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. अभियुक्त के कपड़े-अपीलार्थी, सफेद प्लास्टिक का थैला, मृतक के कपड़े, अभियुक्त अपीलार्थी के खून से भरी सीलबंद बोतल और उसके वीर्य, बाल और नाखून को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। पीड़ित के खून, बाल, नाखून, योनि के स्वाब और गुदा के स्वाब को भी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। रिपोर्टों में जांच अधिकारी, भोंग (पीडब्लू 26) द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त जानकारी से पता चला कि मृतक के प्लास्टिक बैग, नारंगी शर्ट और साड़ी सह चादर पर खून का डी. एन. ए. प्रोफाइल पाया गया है।

अभियुक्त के घर से जब्त किया गया-अपीलार्थी मृतक पीड़ित के डी. एन. ए. प्रोफाइल के समान था। रिपोर्टों से यह भी पता चला कि अभियुक्त-अपीलार्थी के अंडरवियर (बरमूडा पैंट) पर किए गए वीर्य का डी. एन. ए. प्रोफाइल परीक्षण और पीड़ित का योनि स्वाब और गुदा स्वाब अभियुक्त-अपीलार्थी के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाता है।

23. अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए गए-अपीलार्थी के तहत

भारतीय दंड संहिता की धारा 363,364,367,377,302,201 और 376 या वैकल्पिक रूप से 376 (2) (च)। धारा 3 के तहत भी आरोप तय किए गए थे।

4 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम की धारा 5 (इसके बाद 'पॉक्सो' के रूप में संदर्भित)। अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। उनका बचाव इनकार और झूठे निहितार्थ का था।

24. अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। अनावश्यक का कटा हुआ

विवरण, अभियोजन पक्ष के पहले गवाह, शिकायतकर्ता (पीडब्लू 1) होने के नाते, ने गवाही दी कि जब वह अपनी बेटी की खोज करने के बाद आईडी 1 पर लगभग 3.20 बजे घर लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर के दरवाजे के सामने नग्न पड़ा पाया। वह स्थिर थी और कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पीड़िता को नवी मुंबई निगम अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पीडब्लू 1 ने पीड़ित पर चोटों यानी दोनों कंधों और दोनों जांघों पर लालिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित के गुप्त भाग में खून था और योनि में घाव था। गुदा सूज गया था। उन्होंने शिकायत की पहचान की और कहा कि इसकी सामग्री सही थी। पीडब्लू-1 ने निम्नलिखित लेखों की पहचान की: -

एक सीलबंद पैकेट जिसमें उनके द्वारा पहना गया एक काला धागा था

ए।

पीड़ित (अनुच्छेद 1 और 1 ए के रूप में चिह्नित)।

एक सीलबंद पैकेट जिसमें सर्फ एक्सेल पाउडर का एक प्लास्टिक बैग होता है

बी।

1. 5 किलोग्राम (अनुच्छेद 2 और 2 ए के रूप में चिह्नित)।

एक पैकेट जिसमें सीडी के दो टुकड़े होते हैं (अनुच्छेद 3 के रूप में चिह्नित)

सी।

और 3 ए।

डी।

25 ए)

एक और सीलबंद पैकेट जिसमें काली आधी पैंट होती है जो

ई.

गवाह की पहचान पीड़ित की पैंट के रूप में की गई। (अनुच्छेद 24 के रूप में चिह्नित

और 24 ए)

25. पीडब्लू-1 ने अपदस्थ किया कि उसकी बेटी, पीड़ित, के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने

उसकी जाँच के दौरान एक व्यक्ति अरुण पवार के खिलाफ संदेह व्यक्त किया गया। अभिलेखों से पता चलता है कि शिवसेना पार्टी के एक कार्यकर्ता उक्त अरुण पवार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया और जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप हटा दिए गए।

26. दूसरा अभियोजन गवाह (पीडब्लू 2), शिकायतकर्ता की पत्नी और पीड़ित की माँ होने के नाते, संक्षेप में, उसके पति ने जो कहा था उसे दोहराया। उसने काले धागे और पीड़ित द्वारा पहने गए कपड़ों की भी पहचान की। उन्होंने यह भी दोहराया कि शुरू में शिकायतकर्ता होने के नाते उन्हें और उनके पति को संदेह था कि अरुण पवार दोषी थे। हालाँकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी (पीडब्लू 2) और उक्त अरुण पवार के बीच कोई समझौता हुआ था। 27. अभियोजन पक्ष का तीसरा गवाह (पीडब्लू 3) एक पंच है, जिसने अस्पताल में एक पंचनामे पर हस्ताक्षर किए। उसने केवल धागे और पीड़ित के कपड़ों वाले पैकेटों पर अपना हस्ताक्षर किया। उसने पीड़ित पर लगी चोटों का भी वर्णन किया। पहले तीन गवाहों में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे यह पता चले कि दोषी कौन हो सकता है।

28. निर्माण व्यवसाय चलाने का दावा करने वाले चौथे अभियोजन गवाह (पीडब्लू 4) ने कहा कि उसके व्यक्तियों के साथ व्यावसायिक सौदे थे

कोपरीगाँव में रहते हैं। आईडी1 पर वह कोपरिगांव में शिवसेना कार्यालय में परशुराम ठाकुर से मिलने गए थे। उनके दोस्त संजय गोवारी और ऐरोली निवासी देवीदास दलवी भी कार्यालय में मौजूद थे। इस गवाह ने गवाही दी कि शिवसेना कार्यालय से बाहर आने के बाद, वह, संजय गोवारी और देवीदास दलवी उक्त कार्यालय के पास एक इमारत के सामने एक शेड के नीचे खड़े थे। जबकि वे [2019] 11 एस. सी. आर. से नीचे खड़े थे।

उन्होंने सीढ़ियों के किनारे से एक बूढ़े आदमी को एक सफेद थैला पकड़े हुए देखा, जिसे उन्होंने पार्किंग शेड के सामने की गली में रखा था। बूढ़ा आदमी छोटा था और बरमूडा पैंट को छोड़कर जो उसने पहनी थी, वह नंगे शरीर का था। इस गवाह के अनुसार, वह देवीदास दलवी और संजय गोवरी के साथ कुछ दिनों के बाद एक बार फिर परशुराम ठाकुर के कार्यालय गए, जब परशुराम ठाकुर ने उन्हें अपने कार्यालय के सामने एक इमारत में एक लड़की के बलात्कार और हत्या के बारे में बताया, जो 22.1.2013 पर हुई थी।

29. इस गवाह ने कहा कि घटना के बारे में सुनकर, उसने परशुराम ठाकुर को बताया कि उसने एक बूढ़े आदमी को उस शेड के सामने की गली में जाते देखा था, जिसके नीचे वे खड़े थे।

थैला। परशुराम ठाकुर ने तब इस गवाह को पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। 27.1.2013 पर, यह गवाह संजय गोवरी के साथ, जिसने पांचवें गवाह के रूप में भी गवाही दी है, पुलिस स्टेशन गया, पुलिस अधिकारी से मिला और खुलासा किया कि उसने क्या देखा था, जिसे पुलिस ने दर्ज किया था। 30. इसके बाद 7.2.2013 पर, इस गवाह को एक पत्र मिला जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसे तहसीलदार से मिलना चाहिए। 8.2.2013 पर, यह गवाह साथ में है

संजय गोवारी और देवीदास के साथ दलवी तहसीलदार के पास गया, और उसके बाद, एक अन्य महिला के साथ, तलोजा जेल गया जहाँ उसने आरोपी-अपीलार्थी की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने थैले को गली में रखा था।

31. इस गवाह ने एक थैले से निकाले गए एक सफेद रंग के प्लास्टिक के थैले की पहचान की, जिस पर अनुच्छेद 23 ए और 23 अंकित था। उन्होंने बरमूडा पैंट की पहचान वही पैंट के रूप में की जो आरोपी-अपीलार्थी द्वारा पहनी गई थी। क्रॉस में

जाँच में, उसने कहा कि थैले वाले बूढ़े आदमी ने उसे संदेह नहीं जगाया। अगर उसका संदेह जगाया गया होता, तो वह उसी दिन पुलिस स्टेशन जाता।

32. अभियोजन पक्ष के पांचवें गवाह संजय कमलाकर गोवारी

(पीडब्लू 5) ने दोहराया कि पीडब्लू 4 ने क्या कहा था। उन्होंने प्लास्टिक के थैले की पहचान उसी के रूप में की जिसे आरोपी-अपीलार्थी द्वारा गली में फेंक दिया गया था। उन्होंने प्लास्टिक के थैले के अंदर के हिस्से में "क्रिस्टल व्हाइट शुगर सल्फिटन जवाहर शुगर हुपरी कोल्हापुर (महाराष्ट्र राज्य) भारत एस-30 सुक्रोज 50 किलोग्राम" लिखा हुआ विवरण पढ़ा। 2009-2010 3 साल से पहले सबसे अच्छा। जिरह में इस गवाह ने कहा कि उसने उस दिन सफेद थैले पर कोई पहचान का निशान नहीं देखा था और उसने यह भी कहा कि जब उसने सफेद थैले को देखा तो उसे कोई संदेह नहीं था। उन्होंने दोहराया कि उन्होंने बूढ़े आदमी को गली में सफेद प्लास्टिक का थैला गिराते देखा था।

दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अभियुक्त-अपीलार्थी को पीटा और उस रात, अभियुक्त-अपीलार्थी स्थायी रूप से गाँव छोड़ कर चला गया। उपरोक्त घटना का कोई संबंध नहीं है पीड़िता के बलात्कार और हत्या के साथ। जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

34. 7वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 7), एक होम्योपैथिक डॉक्टर,

अभिनिर्धारित किया कि लगभग 7 बजे आई. डी. 1 पर अभियुक्त-अपीलार्थी बेचैनी की शिकायत करते हुए उससे मिलने गया था। उसने कहा कि उसने देखा कि अभियुक्त-अपीलार्थी तनाव से पीड़ित था और उसका रक्तचाप थोड़ा अधिक था। उसने सोचा कि अभियुक्त-अपीलार्थी अम्लता से पीड़ित हो सकता है और तदनुसार उसने दवाएँ निर्धारित कीं। द.

इस गवाह का साक्षय किसी भी तरह की कल्पना से अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को कथित अपराध के लिए स्थापित नहीं करता है।

35. 8वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 8), जो सर्जरी विभाग के तेराना मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ने 25 तारीख को यह बयान दिया।

जनवरी 2013 में वे नवी मुंबई नगर निगम सामान्य अस्पताल में कॉल ड्यूटी पर थे। उस दिन उन्होंने पुलिस द्वारा लाए गए अभियुक्त-अपीलार्थी से पूछताछ की। जाँच पर, अभियुक्त-अपीलार्थी अच्छी शारीरिक और मानसिक स्थिति में दिखाई दिया। जननांग के निजी भाग की जांच करने पर, कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई, लेकिन "द्वीपक्षीय श्रोणि वृद्धि देखी गई"। इसके अलावा कोई बाहरी चोट नहीं थी। जननांग का आकार सामान्य था। जननांग में कोई बाहरी विकृति नहीं थी। टेस्टिकुलर रिफ्लेक्स सामान्य था। लिंग खतनारहित था, स्मेग्मा अनुपस्थित था। यौन संचारित बीमारी के कोई संकेत नहीं थे। ग्लैन के लिंग पर कोई चोट नहीं थी। 36. इस गवाह ने अपदस्थ किया कि नज़र और सल्कस को धोया गया था और धोए गए सामग्री को जांच के लिए एक कांच के बल्ब में एकत्र किया गया था। खून।

रक्त समूह और जांच के लिए एकत्र किया गया था। गुप्तांग के बाल और खोपड़ी के बालों के नमूने भी एकत्र किए गए। यह बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि रोगी नपुंसक था। हालाँकि, गवाह ने स्वेच्छा से कहा कि शारीरिक परीक्षा पर शक्ति के बारे में 100% निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था। इस गवाह के साक्षय में कुछ भी सामग्री नहीं है, जो अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. नौवां अभियोजन गवाह (पीडब्लू 9), जो पेशे से एक चालक है, पीले रंग की कमीज, नीली पैंट और नीचे नीले बरमूडा के लिए पंच है।

अभियुक्त की पैंट-अपीलार्थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। उसके साक्षय से पता चलता है कि ये कपड़े अभियुक्त-अपीलार्थी के शरीर पर 25 जनवरी, 2013 को लगभग 1.45 बजे पाए गए थे।

घटना के लगभग 48 घंटे बाद।

38. 10 वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 10), परशुराम महादु ठाकुर, जो निर्माण के व्यवसाय में एक बिल्डर थे, के पास भूतल पर एक इमारत में एक अपार्टमेंट था जिसमें शिवसेना का कार्यालय था। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी, 2013 को सुबह करीब 7.15 बजे पुलिस अधिकारी दिघे ने उन्हें ओम साई निवास के पास फोन किया। पीडब्लू 10 ने कहा कि उसने पुलिस अधिकारी को वह स्थान दिखाया था जहाँ पीड़ित का शव मिला था। तब तक शव को निकाल लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मौके पर सर्फ एक्सेल का एक थैला और सीडी के दो टुकड़े पाए गए। सर्फ एक्सेल के थैले पर खून के कुछ धब्बे थे। सर्फ एक्सेल का थैला और सीडी के टुकड़े पुलिस द्वारा अलग से पैक किए गए थे। पुलिस ने मौके पर पंचनामा दर्ज किया। पीडब्लू-10 ने पंचनामे में उनके हस्ताक्षर की पहचान की और कहा कि इसकी सामग्री सही थी। 39. इस गवाह ने उस पीडब्लू संख्या को अपदस्थ कर दिया। 4 , 5 और एक एजेंट दलवी, 19 जनवरी, 2013 के बीच की अवधि के दौरान अपने कार्यालय आता था

और 22 जनवरी, 2013। 22 जनवरी, 2013 को वे दोपहर करीब ढाई बजे उनके कार्यालय आए थे और वे शाम साढ़े चार बजे तक उनके कार्यालय में थे।

41. इस गवाह ने कहा कि 27 जनवरी, 2013 को उसे A.P.M.C पुलिस स्टेशन द्वारा बुलाया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। यह गवाह यह भी बयान दिया कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी को जानता था, जो ओम साई निवास भवन के कमरा संख्या 8 में किरायेदार के रूप में रह रहा था। पीड़ित के परिवार के सदस्य उसी इमारत में कमरा संख्या 3 में रह रहे थे। अभियुक्त-अपीलार्थी और साथ ही मृतक पीड़ित का मकान ओम साई निवास भवन के भूतल पर है।

दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

42. उल्लेखनीय है कि इस गवाह के बयान और पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 द्वारा दिए गए बयानों के बीच विसंगतियां हैं, जिन्होंने यह नहीं कहा कि थैला गिराने वाला व्यक्ति डरा हुआ लग रहा था। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि उस आदमी ने उनका संदेह नहीं जगाया।

43. अभियोजन पक्ष के 11 वें गवाह (पीडब्लू 11) अरविंद माधवजी

45. इस गवाह ने गवाही दी कि खोज दल के व्यक्तियों में से एक ने सूखे खून को इकट्ठा करने के लिए खून के धब्बों को खरोंचा। उपस्थिति में इस गवाह की, सोफे पर खून से सना चादर, खिड़की पर पड़ी फर्श की टाइलों को साफ करने के लिए एक कपड़ा, बिस्तर पर चादर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली साड़ी भी पैक की गई थी। सभी छह वस्तुओं को जब्त कर लिया गया और छह लेबल तैयार किए गए। एक थैला जिसमें सामान पैक किए गए थे, उसे अलग से चिह्नित किया गया था। इस गवाह का साक्षय केवल यह स्थापित करता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी के घर की तलाशी अभियुक्त अपीलार्थी की बेटी की सहमति से ली गई थी और कुछ सामान जब्त किए गए थे। खोज के दौरान खून

दाग देखे गए, जिन्हें जाँच के लिए खुरच लिया गया।

46. 12 वीं अभियोजन गवाह (पीडब्लू 12), जिसका नाम मुस्तकली था

पेशे से बढ़ई असगराली अंसारी ने बताया कि 26 जनवरी, 2013 को वह पास के एक पेट्रोल पंप पर अपनी मोटर-साइकिल में पेट्रोल भरने गए थे।

एपीएमसी पुलिस स्टेशन में लगभग 3 बजे उस समय, मंडोल नाम के एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे फोन किया और उसे एपीएमसी पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। वह सिपाही के साथ एपीएमसी पुलिस स्टेशन गया।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस थाने में भोंग नाम का एक पुलिस अधिकारी और एक अन्य पंच मोरे, एक महिला पुलिस और तीन पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे। अभियुक्त-अपीलार्थी, जिसकी पहचान इस गवाह ने अदालत में की थी, भी पुलिस थाने में मौजूद था।

47. पीडब्लू 12 के अनुसार, पुलिस स्टेशन में आरोपी अपीलार्थी ने बयान दिया कि उसने लड़की के शव को एक थैले में रखा था और उक्त थैले को सीढ़ियों के पीछे रख दिया।

48. पीडब्लू 12 ने बयान दिया कि अभियुक्त-अपीलार्थी को इमारत में ले जाया गया और अंदर से उसने सफेद थैले से कपड़े निकाले।

अर्थात् काली आधी पैंट और एक नारंगी शर्ट। पीडब्लू 12 ने अपदस्थ किया कि कपड़े थैले से निकाले गए थे। 49. महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही यह गवाह (पीडब्लू 12) सफेद थैले की जब्ती के लिए एक पंच था, थैले के अंदर की छपाई जो पीडब्लू ने की थी।

देखने का दावा करता है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

50. अभियोजन पक्ष के 13वें गवाह डॉ. भूषण विलासराव जैन (पीडब्लू 13) ने पीड़ित के शरीर का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने निम्नलिखित चोटों को देखा:

" (1) 0. 5 से. मी. चौड़ाई के साथ पीछे की योनि की दीवार पर देखा गया घाव. शाम 6 बजे की स्थिति में टूटा हुआ मांसपेशियों का डिम हाइमेन लाल रंग का होता है

खून निकलता है।

(2) दाहिने पार्श्व योनि की दीवार पर घाव 1 x 2 से. मी. मांसपेशियों में गहरा लाल, खून निकलता है।

(3) गुदा क्षेत्र पर 12 बजे और 3 बजे 2 x 1 से. मी. गहरे और 1 x 0.5 से. मी. गहरे आकार के दो घाव देखे गए।

(4) पलक के नीचे बाएं मैक्सिलरी क्षेत्र में दो छोटे घर्षण देखे गए

पार्श्व रूप से 0.5 x 0.3 सेमी. प्रत्येक लाल रंग का होता है।

(5) बीच में ऊपरी होंठ म्यूकोसल पहलू पर विकृत संदूषण

क्षेत्र 2.5 x 1.5 "।

51. उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि सभी चोटें पूर्व-शव परीक्षण की प्रकृति की थीं और उन्होंने आगे आंतरिक जांच को अपदस्थ कर दिया।

" 2. आंतरिक जाँच पर मैंने खोपड़ी के नीचे रक्तस्राव देखा

पश्चवर्ती क्षेत्र में 5 x 3 से. मी. लाल और मेनिन्जेस दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम थे।

भीड़भाड़। मस्तिष्क का पदार्थ भीड़भाड़ वाला और-ओडमेटस होता है। कटे हुए हिस्से पर सफेद पदार्थ के ऊपर देखा जाने वाला पेटिकियल रक्तस्राव। दोनों फेफड़े भीड़भाड़ वाले थे और पेटिकियल रक्तस्राव के साथ ओडेमेटस थे। 3. वक्ष गुहा में गहरा द्रव रक्त होता है। पेट में 200 सीसी था। आधा पचने वाला चावल, दाल साबू जैसे खाद्य पदार्थ।

सभी आंतों के अंग भीड़भाड़ वाले थे।

52. इस गवाह ने गवाही दी कि उन्होंने डीएनए मैपिंग के लिए खून रखा था। समूहीकरण के लिए रक्त, दोनों हाथों के नाखून काटना और समूह बनाने और बाहरी शरीर का पता लगाने के लिए खोपड़ी के बाल तोड़ना। उन्होंने शुक्राणुओं का पता लगाने के लिए योनि और गुदा के स्वाब के साथ-साथ रासायनिक विश्लेषण के लिए रक्त भी रखा। उन्होंने कहा कि मौत का कारण सिर की चोट और यौन हमले से जुड़ी दम घुटने के कारण दम घुटना है।

53. इस गवाह ने बयान दिया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के कॉलम 17 में उल्लिखित चोटें बार-बार यौन कृत्यों से संभव थीं और

योनि में लिंग का जबरन प्रवेश। हो सकता है कि पीड़ित को अपराधी के चंगुल से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कुछ चोटें आईं हों। चोटों को चोट संख्या के रूप में संदर्भित किया जाता है। 4 और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 5 अपराधी द्वारा पीड़ित के मुंह को अपने हाथों से दबाने के कारण हो सकता है। रिपोर्ट में चोट संख्या 4 के रूप में वर्णित चोट उंगली के नाखूनों के कारण हो सकती है।

54. इस गवाह ने गवाही दी कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर और खोपड़ी के नीचे की चोट No.19 के रूप में दिखाई गई चोट हो सकती है यदि बलात्कार के कार्य के दौरान सिर पर कोई कठोर वस्तु लगी हो तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है।

55. पीडब्लू-13 ने पदच्युत किया कि चोटों को चोट संख्या के रूप में दिखाया गया है। 1 5 तत्काल मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। चोटों को चोट संख्या के रूप में दिखाया गया है। 4 और 5 भी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। अँगुली के नाखूनों में साइनोसिस, मस्तिष्क और फेफड़ों पर पेटिकल और काले तरल रक्त श्वासावरोध के प्रमुख संकेत थे।

56. क्रॉस-एग्जामिनेशन में, पीडब्लू 13 ने कहा कि मस्तिष्क के पदार्थ को कोई चोट नहीं लगी थी। हालाँकि, देखी गई चोटों के कारण मृत्यु संभव थी। हालाँकि, उन्होंने अपनी क्रॉस-जाँच में कहा कि रक्तस्राव हुआ था। इस गवाह ने अपदस्थ किया कि मुँह और नासिका को दबाने से दम घुटता है जिससे दम घुटता है और परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है। जिरह में, इस गवाह ने कहा कि उसने डी. एन. ए. के उद्देश्य से अभियुक्त-अपीलार्थी का रक्त नमूना नहीं लिया था क्योंकि उसके सामने रक्त का नमूना प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस गवाह का साक्षय स्पष्ट रूप से [2019] 11 एस. सी. आर. को स्थापित करता है।

कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके साक्षय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियुक्त-अपीलार्थी को निहित करता हो।

57. 14 वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 14), शिकायतकर्ता के एक पड़ोसी और अभियुक्त-अपीलार्थी ने बयान दिया कि अभियुक्त

अपीलार्थी की दो बेटियाँ थीं, दो बेटे और एक पोता, जिनमें से कोई भी दोपहर 12 से 6 बजे के बीच घर पर नहीं रहता था। उसने कहा कि आरोपी-अपीलार्थी दरवाजा थोड़ा खोलकर या दर्पण में देखकर उसे घूरता था और जब उसने दूसरे पड़ोसी को यह बताया, तो उस पड़ोसी ने उसे बताया कि आरोपी-अपीलार्थी को घूरने की आदत थी। महिलाओं में। उसने कहा कि उसने आरोपी-अपीलार्थी को उसकी बुढ़ापे को देखते हुए कुछ नहीं कहा। जिरह में, इस गवाह ने गवाही दी कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने महिलाओं पर सीटी नहीं बजाई और न ही उसने इमारत की महिलाओं को छेड़ा। वह अपना दरवाजा खुला रखते थे और शीशे में देखते थे। जिरह में उसके साक्षय से पता चलता है कि आरोपी अपीलार्थी को 25 जनवरी, 2013 को गिरफ्तार किया गया था और 26 जनवरी, 2013 को एक अरुण पवार को गिरफ्तार किया गया था। इस गवाह का साक्षय, अभियुक्त-अपीलार्थी के चरित्र के बारे में संदेह पैदा करता है।

58. अपराध शाखा के एक हेड कांस्टेबल 15 वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 15) ने गवाही दी कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने फोन किया

पीड़ित की हत्या के संबंध में जाँच के उद्देश्य से उसे और उसके सहयोगियों को। उन्होंने पदच्युत किया कि वह 23 जनवरी, 2013 को कोपरीगांव पहुंचे। उन्होंने ओम साई भवन के प्रत्येक कमरे का दौरा किया और निवासियों से पूछताछ की। उन्होंने निवासियों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया था ताकि कोई भी जानकारी आने पर उनसे संपर्क किया जा सके।

59. इस गवाह ने गवाही दी कि 24 जनवरी, 2013 को आरोपी-अपीलार्थी के बेटे पीडब्लू 19 महेंद्र रोकाडे ने उसे फोन किया और बताया कि उसे पीड़ित के बलात्कार और हत्या में आरोपी अपीलार्थी, अपने पिता की संलिप्तता का संदेह था।

60. पीडब्लू-19 ने कथित तौर पर इस सिपाही को बताया कि 22 जनवरी, 2013 की रात को उसके पिता तनाव में थे। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले एक अवसर पर उनके पिता ने अपने पैतृक स्थान दुधनोली में एक महिला की शील भंग करने की कोशिश की थी। इस गवाह ने आगे कहा कि 24 जनवरी, 2013 की रात को यह गवाह और एक अन्य पुलिस कांस्टेबल वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के साथ ओम साई भवन में गुप्त सूचना मिलने पर गए कि आरोपी-अपीलार्थी घर आ गया है। इस गवाह के अनुसार अभियुक्त की पत्नी, बेटियाँ और पोता-अपीलार्थी और अभियुक्त-अपीलार्थी उस समय घर पर थे।

अपीलार्थी तनाव में पाया गया। अभियुक्त-अपीलार्थी की पत्नी ने कहा कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने दुधनोली में एक महिला की शील भंग की थी। अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराध शाखा के कार्यालय ले जाया गया। 25 जनवरी, 2013 को अभियुक्त-अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने अपराध किया था। गवाह के साक्षय से केवल यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पीडब्लू-19 ने उसे फोन किया था और संदेह व्यक्त किया था

पीड़िता के बलात्कार और हत्या में उसके पिता की संलिप्तता।

61. 16वीं अभियोजन गवाह (पीडब्लू 16), डॉ. प्रेरणा अनंत ठाकुर ने गवाही दी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आरोपी का रक्त एकत्र किया था अपीलार्थी ने सीलबंद पात्र को निर्धारित पहचान पत्र के साथ पुलिस को सौंप दिया, जिसे उसने खुद भरा था। उसने निर्धारित प्रपत्र और रक्त के नमूने वाला सीलबंद पैकेट पुलिस नायक बी. No.1761 को सौंप दिया, जो उस नमूने को कलिना फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में ले गया।

62. 17वां अभियोजन गवाह (पीडब्लू 17), एक के मालिक

बालाजी फोटो स्टूडियो नामक फोटो स्टूडियो ने बयान दिया कि वह ओम साई निवास के कमरा संख्या 8 की तस्वीरें लेने के लिए पुलिस के साथ गया था। 25 तारीख को

63. 18वीं अभियोजन गवाह (पीडब्लू 18), आरोपी-अपीलार्थी की पत्नी आशा दत्तात्रेय रोकड़े ने कहा कि वह आरोपी-अपीलार्थी, उनके दो बेटों, दो बेटियों और एक पोते (छोटी बेटी का बेटा, जिसके पति की मृत्यु हो गई थी) के साथ ओम साई भवन के कमरा संख्या 8 में रह रही थी। उसने गवाही दी कि अभियुक्त-अपीलार्थी बेरोजगार था और घर पर अकेला रहता था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य काम पर जाते थे और पोता स्कूल जाता था। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी, 2013 को जब वह काम से लौटी तो लगभग 7.30 अपराह्न उसने सुना कि पीड़ित लापता है। परिवार के सभी सदस्यों के लौटने के बाद उसने लगभग 1 बजे रात का खाना खाया, जिसके बाद वे सोने चले गए। उसने अपदस्थ कर दिया कि 2 बजे के बाद उसका पति घर से बाहर चला गया। 23 जनवरी, 2013 को सुबह लगभग 7 बजे पुलिस ने [2019] 11 एस. सी. आर. पर दस्तक दी।

घर का दरवाजा खटखटाया और पीड़ित के बारे में पूछताछ की। 23 जनवरी, 2013 को वह काम पर चली गईं। जब वह चली गई, तो उसका पति यानी आरोपी-अपीलार्थी

और उनकी बेटी निशा (पीडब्लू 20) घर पर थी लेकिन जब वह शाम करीब 7:30 बजे घर लौटी तो उसे अपना पति नहीं मिला। पूछताछ करने पर उसकी बेटी निशा (पीडब्लू 20) ने उसे बताया कि आरोपी-अपीलार्थी अपने भाई के घर गया था। उन्होंने आगे कहा कि 23 जनवरी, 2013 को उन्होंने रात का खाना खाया और सो गईं। 24 जनवरी, 2013 को जब वह काम करने के लिए बाहर गई तो उसका पति यानी अभियुक्त-अपीलार्थी वापस आ गया। लगभग 7:30 बजे लौटने के बाद, उसने चाय बनाई और आरोपी-अपीलार्थी को चाय परोसी। चाय परोसते समय उसने अभियुक्त-अपीलार्थी से पूछा कि वह क्यों तनाव में था। उन्होंने जवाब दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद उसने उसे अस्पताल जाने के लिए कहा। अभियुक्त-अपीलार्थी गया

64. इस गवाह ने गवाही दी कि उसके पति, आरोपी अपीलार्थी के डॉक्टर के पास से वापस आने के बाद, उसने उसे बताया कि उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लगभग 8 बजे पुलिस आरोपी अपीलार्थी को पूछताछ के लिए ले गई। 25 जनवरी, 2013 को उन्हें उनके बेटे महेंद्र ने सूचित किया कि पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने पुलिस के सामने अपराध स्वीकार कर लिया है। इस गवाह का सबूत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने गवाही दी है कि आरोपी-अपीलार्थी ने उसके सामने कबूल किया है कि उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। 65. 19वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 19), महेंद्र, के बेटे के साक्षय से बहुत अधिक तथ्य सामने नहीं आया है।

अभियुक्त-अपीलार्थी, सिवाय इसके कि उसने पुलिस को फोन किया था और सूचित किया था

पुलिस ने कहा कि उसे पीड़ित के बलात्कार और हत्या में अपने पिता, अभियुक्त अपीलार्थी की संलिप्तता का संदेह था। 66. इस गवाह ने परिवार के सदस्यों के कार्य कार्यक्रम और अपने भतीजे के स्कूल के घंटों को दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना था कि पीड़िता लापता हो गई थी और बाद में सुना था कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस पूछताछ करने के लिए इमारत में आई। इस गवाह ने आगे कहा कि जब उसने सुना कि उसके पिता अचानक कामोठे गए थे, तो उसे संदेह हुआ, क्योंकि उसके पिता के पिछले इतिहास में दुधनोली गाँव की एक घटना शामिल थी। उन्होंने आगे कहा कि 25 जनवरी, 2013 को पुलिस ने उनसे संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि उनके पिता ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जब्त की गई वस्तुओं की पहचान अनुच्छेद संख्या के रूप में भी की। 18 - ए, 19-ए और 20-ए।

क्रॉस दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जाँच में, इस प्रतिनिधि ने कहा कि 23 जनवरी, 2013 को वह विभाजन वाले आंतरिक कमरे के बिस्तर पर सो रहा था। उस समय उन्हें चादर पर कोई दाग या निशान नहीं मिला था। बेडशीट हर 4 या 5 दिनों में बदली जाती थी और हर दो से तीन महीने के बाद सोफे सेट और कुशन के कवर बदले जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि घर का फर्श रोजाना धोया और साफ किया जाता है।

67. 20 वीं अभियोजन गवाह (पीडब्लू 20), निशा, बेटी

अभियुक्तों में से-अपीलार्थी ने बयान दिया कि 25 जनवरी, 2013 की शाम को पुलिस फोरेंसिक प्रयोगशाला के विशेषज्ञों और एक फोटोग्राफर के साथ उनके घर आई थी। उसकी अनुमति लेने के बाद, पुलिस ने सोफे कवर, कुशन कवर, बेडशीट और डस्टर कपड़े जब्त कर लिए। विशेषज्ञ ने फर्श पर टाइलों के बीच के अंतराल और सोफे के आवरण पर खून के धब्बे पाए। सोफे का कवर, कुशन कवर और बेडशीट खून से सना हुआ था। इन सभी वस्तुओं को जब्त कर लिया गया और पुलिस ने उसके हस्ताक्षर और उसके पिता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। उन्होंने फर्श की सफाई के लिए सोफासेट कवर, कुशन कवर, बेड शीट और डस्टर कपड़े की पहचान की। उन्होंने अपने पिता के बरमूडा की भी पहचान की। उसने कहा कि जब वह छोटा बच्चा था तो उसे पता चला कि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया है

एक महिला और इसलिए, परिवार को गाँव दुधनोली छोड़ना पड़ा। जिरह में, इस गवाह ने कहा कि उसके पिता ने कभी भी उससे अनावश्यक रूप से बात नहीं की। उसने कहा कि वह हर दूसरे दिन बर्तन साफ करती है और फर्श साफ करती है। उसने कहा कि उसने सोफे, तकिया या बिस्तर पर कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। इस गवाह के साक्षय से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं निकला है सिवाय इसके कि अभियुक्त-अपीलार्थी के आवास की फोरेंसिक विशेषज्ञों और एक फोटोग्राफर की उपस्थिति में तलाशी ली गई थी। मकान की तस्वीरें ली गईं, कुछ सामान जब्त किए गए और

जाँच के लिए रक्त के खरोंच के नमूने एकत्र किए गए।

68. 21 वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 21), रत्नजलि रवींद्र सरनोबत ने गवाही दी कि उन्होंने परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) का संचालन किया था और गवाह भगत, गोवारी और दलवी (पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5) ने आरोपी-अपीलार्थी की पहचान की थी।

69. 22 वां अभियोजन गवाह (पीडब्लू 22), उप-निरीक्षक

ए. एम. एफ. सी. पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी ने कहा कि 22 जनवरी, 2013 को वह रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक रात की ड्यूटी पर था। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने सुबह लगभग 9.15 बजे पीड़ित के संबंध में गुमशुदगी की शिकायत दी। लगभग 2:30 बजे जब वह पुलिस के बाहर गश्त कर रहा था

स्टेशन पर, उन्हें एपीएमसी पुलिस स्टेशन से एक टेलीफोन कॉल आया कि [2019] 11 एस. सी. आर.

लापता लड़की मिल गई थी लेकिन कोई हलचल नहीं थी। उन्हें वाशी नवी मुंबई नगर निगम अस्पताल ले जाया जा रहा था।

(एनएमएमसी)। डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया जिसके बाद शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इस गवाह के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को स्थापित या इंगित करता हो। उन्होंने केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट और पहली जानकारी देने वाले तथ्यों को सुनाया।

रिपोर्ट, पीड़ित के शव की स्थिति, तस्वीरें लेने वाली वस्तुओं की जब्ती आदि। 70. 23वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 23) ने गवाही दी कि वह पहचान के साथ डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी के रक्त के नमूने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, कलिना ले गया था।

71. 24वां अभियोजन गवाह (पीडब्लू 24) एपीएमसी पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ था क्योंकि पुलिस नाइक ने गवाही दी थी कि वह फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, कलिना से डीएनए किट वापस लाया था।

72. 25वां अभियोजन गवाह (पीडब्लू 25) मामले में सहायक जांच अधिकारी है। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिस निरीक्षक के रूप में उन्होंने मामले की जांच की थी। 23 जनवरी, 2013 को सुबह लगभग 5 बजे उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और पूछताछ शुरू की। उसने मृतक पीड़ित की माँ (पीडब्लू 2) का बयान दर्ज किया।

73. 26 जनवरी, 2013 को उन्होंने कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए और उनकी मां का पूरक बयान दर्ज किया। मृतक। उसने अभियुक्त की पत्नी-अपीलार्थी, अभियुक्त की दो बेटियों-अपीलार्थी और अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो अपराध की ओर इशारा करता है

अभियुक्त-अपीलार्थी पी. डब्ल्यू.-23, पी. डब्ल्यू.-24 के साक्षय से निकला है।

मुंबई नगर निगम अस्पताल में सुबह करीब 3 बजे वह शिकायतकर्ता को थाने ले गया और प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी के आधार पर, 2013 का अपराध No.20 था पंजीकृत। पीडब्लू-26 ने बयान दिया कि 23 जनवरी, 2013 को उसने पुलिस भेजी।

इंस्पेक्टर लावंद मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पंचनामा (Exh.30) रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि शुरू में, पीड़ित के माता-पिता ने एक पवार के खिलाफ संदेह व्यक्त किया था जिसे हिरासत में लिया गया था। जाँच में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया और तदनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।

24 जनवरी को दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

नीले रंग की फुल पैंट, बरमूडा पैंट और पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। इस गवाह ने आगे कहा कि 25 जनवरी, 2013 को उसने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से एक दल को बुलाया, जिसने उसके पास से छह सामान जब्त किए। अभियुक्त का घर-अपीलार्थी जो अनुच्छेद संख्या है। 17 - ए, 18-ए, 19-ए, 20-ए और 21-ए।

75. जब्त किए गए सामान कुशन कवर थे, जो सफाई के लिए एक कपड़ा था।

फर्श, एक साड़ी जिसका उपयोग चादर के रूप में किया जाता था जिसे छह पैकेटों में सील कर दिया जाता था। उन्होंने पदच्युत किया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने सोफे के नीचे फर्श की टाइलों से सूखा खून एकत्र किया। सोफे और अन्य वस्तुओं की तस्वीरें उस स्थान की रिकॉर्डिंग के समय ली गई थीं।

पंचनामा। पीडब्लू-26 ने आगे कहा कि 25 जनवरी, 2013 को उसने अभियुक्त-अपीलार्थी की चिकित्सकीय जांच कराई और उसने मामला भी दर्ज किया।

76. इस गवाह ने गवाही दी कि 27 जनवरी, 2013 को तीन गवाह देवीदास, विनोद भगत और गोवारी एपीएमसी पुलिस थाने में आए। और उनके बयान दर्ज कराए। इसके बाद एक परीक्षण पहचान परेड का आयोजन किया गया। 27 जनवरी, 2013 को उन्होंने फोटोग्राफर राजेश जोशी (पीडब्लू 17) द्वारा निर्मित मेमोरी कार्ड को जब्त कर लिया। इस [2019] 11 एस. सी. आर. के साक्षय से।

गवाह, यह पता चलता है कि डीएनए प्रोफ़ाइल के लिए एकत्र किए गए रक्त के नमूनों को विधिवत फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया था। इस गवाह ने गवाही दी कि जाँच के दौरान, यह पता चला कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। जाँच पूरी होने के बाद, इस गवाह ने आरोप पत्र दायर किया।

77. 27वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू 27), फोरेंसिक प्रयोगशाला, कलिना में एक सहायक रासायनिक विश्लेषक ने गवाही दी कि वह चार लोगों की अपनी टीम के साथ एपीएमसी पुलिस स्टेशन गया था। लोग। टीम कोपरीगाँव में ओम साई बिल्डिंग गई। पुलिस के साथ आरोपी अपीलार्थी भी मौजूद था। अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में एक हॉल और रसोईघर था और उक्त हॉल में

एक विभाजन था। जब दरवाजा खोला गया तो उन्होंने दाहिनी ओर एक सोफे देखा। सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर, उन्होंने पाया कि सोफे पर तीन कुशन थे और कुशन कवर पर 1 सेमी व्यास के खून के दाग थे। 2 सेमी तक। लगभग। इस गवाह ने अपदस्थ किया कि उसने फेनॉल्फथेलिन की मदद से रक्त के दाग का परीक्षण किया और पुष्टि की कि दाग रक्त के दाग थे। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि तीन कुशन कवर जो खून से सने थे, उन्हें कुशन से हटा दिया गया और जांच अधिकारी को सौंप दिया गया। इस गवाह ने गवाही दी कि उसने देखा कि सोफे के बीच के पैर के पास फर्श पर खून के धब्बे थे। उन्होंने फेनोल्फथेलिन के साथ उन दागों का परीक्षण किया और पुष्टि की कि वे रक्त के दाग थे। सूती कपड़े की मदद से सूखे खून को खुरच कर एकत्र किया गया और उस सूती कपड़े को एक लिफाफे में डाल दिया गया जिसे एक पॉलिथीन बैग में पैक किया गया और जांच अधिकारी को सौंप दिया गया। इस गवाह ने गवाही दी है कि टीम ने खिड़की पर खून से सना कपड़ा देखा जिसका परीक्षण भी किया गया और जांच अधिकारी को दिया गया। विभाजन के भीतरी भाग में एक खाट थी। बिस्तर साड़ी से ढका हुआ था। उन्होंने परीक्षण के लिए साड़ी पर खून के धब्बों के खरोंच एकत्र किए। यह पुष्टि की गई कि वे रक्त के दाग थे, लेकिन चूंकि वीर्य की पहचान के परीक्षण में बहुत समय लगता है, इसलिए साड़ी के आवरण को प्रत्येक वस्तु को ठीक से सील करने और उसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने के निर्देशों के साथ आई. ओ. को सौंप दिया गया। इस गवाह ने लेखों की पहचान भी की।

78. जैसा कि ऊपर देखा गया है, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के मृतक पीड़ित के माता-पिता होने का मौखिक साक्षय भी दोषी होने का संकेत नहीं देता है

अभियुक्त का-अपीलार्थी। अभियोजन पक्ष की तीसरी गवाह केवल एक पंच है जो पीड़ित के धागे और कपड़ों वाले थैले पर अपने हस्ताक्षर करती है। चौथे और पांचवें अभियोजन गवाहों ने दावा किया है कि उनके पास दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम था।

घटना के दिन कोपरिगांव में शिवसेना कार्यालय में परशुराम ठाकुर से मिलने गए थे। जब वे कार्यालय से बाहर आए, तो वे एक शेड के नीचे खड़े थे और बात कर रहे थे, जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को इमारत की सीढ़ियों के किनारे से आते देखा, जिसके हाथ में एक सफेद थैला था जिसे उन्होंने पार्किंग शेड के सामने की गली में रखा था। इन गवाहों ने अभियुक्त-अपीलार्थी की पहचान बैग ले जा रहे व्यक्ति के रूप में की। उन्होंने बैग की पहचान उस बैग के रूप में भी की जिसे आरोपी-अपीलार्थी ले जा रहा था।

एक आदमी को सफेद थैला लिए हुए देखा। वे थैले के पास नहीं गए। पुलिस द्वारा पेश किए गए थैले के गवाहों द्वारा कथित पहचान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वही थैला जिसे इन गवाहों ने आरोपी-अपीलार्थी को ले जाते देखा था। इसके अलावा, गवाहों में से एक ने जिरह में कहा कि उन्हें संदेह नहीं था कुछ भी जब उन्होंने उस आदमी को थैला लिए हुए देखा। अगर आठ साल के बच्चे के शव को एक थैले में ले जाया जा रहा होता तो कुछ संदेह पैदा होता।

80. किसी भी मामले में, इन गवाहों ने बयान दिया कि शिवसेना से बाहर आने के बाद बैग को पार्किंग शेड के सामने की गली में छोड़ दिया गया था कार्यालय भवन, जो शाम करीब साढ़े चार बजे का था। मृतक पीड़ित का नग्न शव पहली बार रात में लगभग 2 बजे शिकायतकर्ता के घर के दरवाजे के सामने मिला। अगर शव को शाम को दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया होता, तो निश्चित रूप से शव को पहले ही देखा जाता।

81. पीडब्लू 6 के साक्षय कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने लगभग 15 साल पहले उसकी शील भंग करने की कोशिश की थी, का घटना से कोई संबंध नहीं है। मृतक पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या। मान लीजिए कि इस गवाह ने अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

82. पीडब्लू7 के साक्षय की भी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह गवाह, एक होम्योपैथिक डॉक्टर, ने गवाही दी कि अभियुक्त-अपीलार्थी की जाँच करने पर, उसने पाया कि वह तनाव से पीड़ित था और उसका रक्तचाप थोड़ा अधिक था। अपने स्वयं के साक्षय के अनुसार उसने सोचा कि वह अम्लता से पीड़ित हो सकता है।

83. इसी तरह पी. डब्ल्यू. 8, एक डॉक्टर जिसने अभियुक्त-अपीलार्थी की जाँच की थी, के साक्षय में स्थापित करने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है।

अभियुक्त का अपराध-अभियुक्त अपराध के लिए अपीलार्थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84. नौवां अभियोजन गवाह केवल एक पंच है जिसकी उपस्थिति में

अभियुक्त-अपीलार्थी के कपड़े जब्त कर लिए गए। उन्होंने कहा कि ये वे कपड़े थे जो आरोपी-अपीलार्थी ने घटना के लगभग 2 दिन बाद पहने थे। 10 वें अभियोजन गवाह ने केवल इस बात की पुष्टि की कि चौथे और 5 वें गवाह उनके कार्यालय में आए थे और बाद में उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने 22 जनवरी, 2013 को क्या देखा था।

85. हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, किसी भी गवाह के साक्षय में पीडब्लू-12 और पीडब्लू-18 के साक्षय के अलावा कुछ भी नहीं है और

पीडब्लू संख्या का कमजोर साक्षय। 4 और 5 अभियुक्त-अपीलार्थी को कथित अपराधों का दोषी साबित करने के लिए पीडब्लू-10 द्वारा कथित रूप से पुष्ट किया जाना, अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी पीडब्लू-18 को दिए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करती है।

86. फोरेंसिक प्रयोगशाला निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य, गृह विभाग, विद्यानगर की रिपोर्टों की जांच,

कलिना, सांताक्रूज (पूर्व) मुंबई भूतपूर्व। संख्या 22 से 25 और विशेष रूप से Ex.25 में परीक्षा रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि रक्त का डीएनए प्रोफाइल

प्लास्टिक की थैली पर पाए गए कपड़े और पीड़ित के नाखूनों से प्राप्त कपड़े समान हैं और महिला मूल के एक ही स्रोत से हैं। पीड़ित के अंडरवियर (बरमूडा), बेडशीट, योनि स्वाब और गुदा स्वाब पर पाए गए वीर्य का डीएनए प्रोफाइल समान है और पुरुष मूल के एक ही स्रोत से है। डी. एन. ए. विश्लेषण उचित संदेह से परे स्थापित करता है कि पीड़ित का बलात्कार अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा किया गया था।

87. 6 और 7 जून, 2013 को दिए गए एक निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण)

अधिनियम), ठाणे ने अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363,364,367,302,201,376,376 (2) (च) और 377 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिसे यौन से बच्चों के संरक्षण की धारा 4 और 6 के साथ पढ़ा जाता है।

अपराध अधिनियम, 2012।

88. 7 जून, 2013 को अभियुक्त-अपीलार्थी को अदालत में पेश किया गया और सजा के सवाल पर सुनवाई की गई जिसके बाद निचली अदालत ने निम्नानुसार आदेश दिया गया:

" 1. अभियुक्त दत्तात्रेय @दत्ता अम्बो रोकडे को इसके द्वारा दोषी ठहराया जाता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 363,364,367,302,201 के तहत और भारतीय दंड संहिता की धारा 376,376 (2) (च), 377 आर/डब्ल्यू धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों में से।

महाराष्ट्र राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

4 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और

धारा 5 (एच) (आई), 5 (के), (आई) (एम) के तहत दंडनीय

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम।

2. अभियुक्त को दंडनीय अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती है

भारतीय दंड संहिता की धारा 303 और उसे फांसी दी जाए।

बॉम्बे में न्यायपालिका। 3.
अभियुक्त को अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

एक्ट करें। 4. धाराओं के तहत
अपराधों के लिए कोई अलग सजा नहीं दी जाती है।

363 , 364 , 367 और भारतीय दंड संहिता की धारा 201।
5. अभियुक्त 25.01.2013 के बाद से विचाराधीन कैदी है।

6. अगले आदेश तक मुडेमल संपत्ति को संरक्षित किया जाए।

तुरंत। 8. पंजीयक को रिकॉर्ड
और कार्यवाही भेजने का निर्देश दिया जाता है

इस विशेष मामले संख्या 1/13 के लिए माननीय उच्च न्यायालय को

मृत्युदंड की पुष्टि "।

89. पंजीयक को अभिलेख और कार्यवाही भेजने का निर्देश दिया गया था

मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में मामला। अभियुक्त-अपीलार्थी ने 2013 की आपराधिक अपील सं. 1202 के दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ भी अपील दायर की।

90. 2013 की उक्त आपराधिक अपील No.1202 की सुनवाई एक

बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के साथ-साथ मौत की सजा का संदर्भ सी. आर. एल. है। 2013 के विशेष मामले संख्या 1 में 2013 का पुष्टि मामला संख्या 6।

91. 21, 24 और 25 मार्च, 2014 के एक निर्णय और आदेश द्वारा,

बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभियुक्त-अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत लगाए गए दोषसिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि की। अभियुक्त-अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से केवल इस हद तक अनुमति दी गई थी कि अभियुक्त [2019] 11 एस. सी. आर.

धारा 376 सरलीकरणकर्ता के तहत अपीलार्थी को अलग कर दिया गया था। डिवीजन बेंच के फैसले और आदेश के खिलाफ राज्य ने कोई अपील दायर नहीं की है।

92. हमने अभिलेख पर साक्षय पर विस्तार से विचार किया है और हमें अभियुक्त की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

अपीलार्थी, जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

93. जैसा कि अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है, अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ साक्षय का अलंकरण हो सकता है। द.

पीडब्लू-10 द्वारा समर्थित पीडब्लू 4 और 5 का साक्षय कभी भी किसी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है और अंतर्निहित विसंगतियों से भरा हुआ है।

94. यह मानते हुए भी कि पीडब्लू 4 और 5 ने वास्तव में आरोपी अपीलार्थी को एक बैग ले जाते हुए और उसे कार शेड के सामने की गली में फेंकते हुए देखा, यह 22.1.2013 की शाम थी, जबकि पीड़ित का शव पहली बार उसके माता-पिता ने अपने घर के दरवाजे के बाहर देखा था, आधी रात को, लगभग 2.00a.m।

95. मान लीजिए, इन दोनों गवाहों ने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था। बच्चे के शरीर के साथ एक थैले ने, पूरी संभावना में, संदेह पैदा किया होगा। यह सुझाव देने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं मिली कि

हो सकता है कि शव को छुपाया गया हो और/या लपेटा गया हो और फिर पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 द्वारा पहचाने गए थैले में डाल दिया गया हो। मान लीजिए, इन दोनों गवाहों ने अभियुक्त-अपीलार्थी (यदि बिल्कुल भी हो) द्वारा लिए गए थैले की बारीकी से जांच नहीं की। नहीं।

पुलिस द्वारा जब्त और प्रस्तुत किए गए थैले की पी. डब्ल्यू. 4 और 5 द्वारा पहचान पर प्रमाण पत्र रखा जा सकता है, क्योंकि वही थैला आरोपी-अपीलार्थी द्वारा ले जाया गया था। पहचान बेतुकी है। 96. यह भी उतना ही सच है कि पीडब्लू-18, आशा, अभियुक्त की पत्नी-अपीलार्थी, जिसके पास अभियुक्त-अपीलार्थी है, के अलावा कोई भी गवाह नहीं है।

अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पीडब्लू-12, एक पंच, जिसकी उपस्थिति में अभियुक्त-अपीलार्थी ने पुलिस के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की, अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध के लिए प्रासंगिक है। हालाँकि, यह दोहराया जाता है कि फोरेंसिक साक्षय के साक्षय द्वारा समर्थित है

97. सवाल यह है कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी को धारा 302 के तहत अपराधों के लिए दी गई मौत की सजा की पुष्टि की जानी चाहिए। या आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए, जैसा कि अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है।

98. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि (i) मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है। मामले; (ii) अभियुक्त-अपीलार्थी का विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से बचाव नहीं किया गया था; (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत अपीलार्थी को सजा की मात्रा पर दी गई सुनवाई प्रभावी सुनवाई नहीं थी; (iv) अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित वकील ने केवल यह प्रस्तुत किया कि अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, और अभियुक्त अपीलार्थी की उम्र को ध्यान में रखते हुए कम सजा दी जानी चाहिए; (v) कम सजा देने और कम करने के लिए परिस्थितियों को कम करने की ओर न्यायालय का ध्यान नहीं खींचा गया था।

परिस्थितियों पर कभी विचार नहीं किया गया; (vi) अभियुक्त-अपीलार्थी को कम करने वाली परिस्थितियों को अभिलेख पर रखते हुए एक हलफनामा दायर करने का अवसर नहीं दिया गया था; (vii) निचली अदालत ने ऐसे तथ्यों को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया जो मौत की सजा के चरम दंड को लागू करने के खिलाफ परिस्थितियों को कम कर सकते हैं; (viii) मुकदमे या अपीलीय अदालत द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि मौत की सजा के अधिरोपण का कोई विकल्प नहीं था और (ix) निचली अदालत ने आरोपी-अपीलार्थी के सुधार या पुनर्वास की संभावना पर विचार नहीं किया। वकील ने तर्क दिया कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जब तक फांसी नहीं दी जाती, तब तक अभियुक्त-अपीलार्थी समाज के लिए निरंतर खतरा रहेगा।

99. बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1, इस न्यायालय ने मृत्युदंड की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि आजीवन कारावास नियम था और मृत्युदंड एक अपवाद था, जिसे विशेष कारणों को दर्ज करते हुए "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामलों में लगाया जाना था। बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने प्रभावी रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने से पहले, गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। कम करने वाले कुछ कारकों में अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति होगी जिसमें अपराध किया गया हो सकता है, यह संभावना कि अभियुक्त अपीलार्थी समाज के लिए निरंतर खतरा नहीं होगा, अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना, मानसिक दोष या अभियुक्त की अव्यवस्था आदि शामिल हैं। 100. राजेश कुमार बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार के माध्यम से) 2, इस न्यायालय ने कहा:

> " 83. बचन सिंह में अनुपात को मंजूरी मिल गई है

1 (1980) 2 एससीसी 684

2 (2011) 13 एससीसी 706 [2019] 11 एस. सी. आर.

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समुदाय और डेविड पैनिक द्वारा मृत्युदंड की न्यायिक समीक्षा में बहुत अनुकूल रूप से संदर्भित किया गया है: डकवर्थ (पीपी देखें। 104-05) . रोजर हुड और कैरोलिन हॉयल द डेथ पेनल्टी, 4थ एडन पर अपने ग्रंथ में। (ऑक्सफोर्ड) ने भी बचन सिंह की बहुत सराहना की है। अनुपात (पी देखें। 285)। इस न्यायालय द्वारा बचन सिंह में विकसित की गई "दुर्लभ से दुर्लभतम" की अवधारणा भी है -

मृत्युदंड के मामलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक।

84. इस संबंध में मृत्युदंड में विवेकाधिकार का प्रयोग करने में सही आधारित दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जा सकता है इसका सुझाव ब्रिटिश बैरिस्टर एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने दिया था। [एडवर्ड फिट्जगेराल्ड: बारबाडोस में मृत्युदंड सम्मेलन (3-5 जून) में पूंजीगत मामलों में शमन अभ्यास: सम्मेलन पत्र और सिफारिशें।] इसमें यह सुझाव दिया गया है कि पूंजीगत मामलों में विवेक का प्रयोग करने के लिए सही दृष्टिकोण

मृत्युदंड के खिलाफ एक मजबूत धारणा से शुरू करना है। यह तर्क दिया जाता है कि "किसी भी महत्वपूर्ण शमन कारक की उपस्थिति सबसे भीषण मामलों में भी मृत्युदंड से छूट को उचित ठहराती है" और फिट्जगेराल्ड का तर्क है:

" इस तरह के प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: सामान्य सजा आजीवन कारावास होनी चाहिए। मृत्युदंड केवल 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों में आजीवन कारावास के बजाय लगाया जाना चाहिए जहां अपराध या अपराध असाधारण जघन्यता के हैं और व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण शमन नहीं है और इसे सुधार से परे माना जाता है।

(द डेथ पेनल्टी में उद्धृत, रोजर हुड और हॉयल, चौथा संस्करण, ऑक्सफोर्ड, पी। 285.)

86. इन अपीलों के तथ्यों और ऊपर चर्चा किए गए कारणों को समग्र रूप से देखते हुए, हम मानते हैं कि अपीलार्थी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि बचन सिंह में संविधान पीठ का कहना है कि -

1973 की संहिता की धारा 354 (3) में नीति यह है कि एक व्यक्ति के लिए

हत्या के लिए दोषी, आजीवन कारावास नियम और मौत की सजा है, एक अपवाद है, और कम करने वाली परिस्थितियों पर उचित विचार किया जाना चाहिए। बचन सिंह आगे आदेश देते हैं कि सजा के सवाल पर विचार करते हुए अदालत को मानव दत्तात्रेय की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता दिखानी चाहिए।

जीवन जिसे कानून की साधनता के माध्यम से जीवन लेने के प्रतिरोध को स्वीकार करना चाहिए। "दुर्लभतम मामलों" और "विशेष कारणों" को छोड़कर मौत की सजा नहीं दी जा सकती है।

आजीवन कारावास के अधिरोपण का वैकल्पिक विकल्प "।

101. राजेश कुमार (ऊपर) में, आरोपी को दो असहाय बच्चों पर सबसे वीभत्स तरीके से हमला करने और उनकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। इस अदालत ने दोहराते हुए कहा कि मौत की सजा नहीं दी जा सकती है कि आजीवन कारावास नियम था और मृत्युदंड एक अपवाद था जो केवल "दुर्लभतम मामलों में" और "विशेष कारणों" के लिए लगाया जाना था जब कोई शमनकारी परिस्थितियाँ नहीं थीं।

102. दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 235 में लिखा है,

इस प्रकार है:

" 235. दोषमुक्त या दोषसिद्धि का निर्णय। - (1) दलीलों और कानून के बिंदुओं (यदि कोई हो) को सुनने के बाद, न्यायाधीश एक

मामले में निर्णय।

(2) यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश, जब तक कि वह धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनेगा, और फिर पारित करेगा।

उस पर कानून के अनुसार सजा "।

103. सी. आर. पी. सी. की धारा 235 (2) केवल औपचारिकता नहीं है। विद्वत विचारण न्यायाधीश की ओर से अभियुक्त को सुनना अनिवार्य है।

सजा का प्रश्न और उससे निपटना। सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य 3 में जे. भगवती का उद्धरण देना।

" 2. ..... यह प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है और किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं करता है। इसकी आवश्यकता है कि सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मुकदमे में, पहले अभियुक्त के अपराध के बारे में निर्णय होना चाहिए। न्यायालय को, सबसे पहले, अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए या बरी करते हुए निर्णय देना चाहिए। यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, तो आगे कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर वह दोषी ठहराया जाता है,

फिर अदालत को "सजा के सवाल पर आरोपी को सुनना होता है, और फिर उसे कानून के अनुसार सजा सुनानी होती है।" जब अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कोई निर्णय दिया जाता है, तो उस स्तर पर उसे सजा के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाता है और उसे सुनने के बाद ही अदालत सजा देने के लिए आगे बढ़ सकती है।

3 3 (1976) 4 एस. सी. सी. 190 [2019] 11 एस. सी. आर.

3. धारा 235 (2) में यह नया प्रावधान दंड और सजा देने की प्रक्रियाओं में आधुनिक रुझानों के अनुरूप है। पुरानी संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। पुरानी संहिता के तहत, सजा के संबंध में आरोपी जो कुछ भी प्रस्तुत करना चाहता था, उसे बहस से पहले उसे बताना पड़ता था

निष्कर्ष निकाला गया और फैसला सुनाया गया। सजा के संबंध में सुनवाई के लिए कोई अलग मंच नहीं था। द.

अभियुक्त को सामग्री प्रस्तुत करनी थी और अपनी दलीलें प्रस्तुत करनी थीं

सजा के संबंध में इस धारणा पर कि वह अंततः दोषी ठहराए जाने वाला था। यह सबसे अधिक असंतोषजनक था। अतः विधायिका ने निर्णय लिया कि जब अभियुक्त दोषी ठहराया जाता है तभी सजा का प्रश्न विचार के लिए सामने आना चाहिए और उस स्तर पर अभियुक्त को सजा के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह महसूस किया गया कि सजा देना आपराधिक न्याय के प्रशासन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है।

अपराध के निर्णय के रूप में महत्वपूर्ण-और यह नहीं होना चाहिए

सहायक पद पर इस तरह नियुक्त किया गया जैसे कि यह बहुत अधिक परिणाम की बात न हो। अदालत के लिए यह कुछ चिंता का विषय होना चाहिए कि उसे उचित सजा दी जाए

इसलिए, आपराधिक और सजा पर अदालत को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

..... कारण यह है कि एक उचित सजा कई कारकों का समामेलन है जैसे कि अपराध की प्रकृति,

अपराध की परिस्थितियाँ-अपराध को बढ़ाने या बढ़ाने वाली-, अपराधी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, तो अपराधी की उम्र, रोजगार के रूप में अपराधी का रिकॉर्ड, शिक्षा के संदर्भ में अपराधी की पृष्ठभूमि, घरेलू जीवन, प्रजनन और सामाजिक समायोजन, अपराधी की भावनात्मक और मानसिक स्थिति, अपराधी के पुनर्वास की संभावनाएँ, अपराधी के उपचार या प्रशिक्षण की संभावना, इस बात की संभावना कि सजा के रूप में काम कर सकती है।

अपराधी या अन्य लोगों और वर्तमान समुदाय द्वारा अपराध को रोकने के लिए, यदि कोई हो, विशेष प्रकार के अपराध के संबंध में इस तरह के निवारक की आवश्यकता है। ये ऐसे कारक हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा निर्णय लेने में ध्यान में रखा जाना चाहिए

उचित सजा, और इसलिए, विधायिका ने महसूस किया कि, इस उद्देश्य के लिए, दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम के बाद एक अलग चरण प्रदान किया जाना चाहिए।

दोषसिद्धि जब न्यायालय अभियुक्त को सजा देने वाले इन कारकों के संबंध में सुन सकता है और फिर उचित निर्णय पारित कर सकता है

अभियुक्त को सजा।

4. ..... सजा के सवाल पर सुनवाई को सभी अर्थों और सामग्री से रहित कर दिया जाएगा और यह एक बेकार औपचारिकता बन जाएगी, अगर इसे केवल मौखिक प्रस्तुतियों को सुनने तक सीमित रखा जाए, बिना पक्षों और विशेष रूप से अभियुक्त को कोई अवसर दिए, सामग्री प्रस्तुत करने के लिए।

के प्रश्न पर असर डालने वाले विभिन्न कारकों के संबंध में

सजा, और यदि आवश्यक हो, तो उद्देश्य के लिए साक्षय का नेतृत्व करने के लिए

अदालत के समक्ष ऐसी सामग्री रखने के लिए।

104. सांता सिंह (ऊपर) में, जे. भगवती ने मौत की सजा को दरकिनार कर दिया और मामले को सत्र न्यायालय को एक निर्देश के साथ भेज दिया

उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता को सजा के प्रश्न के संबंध में सुनवाई का अवसर देने के बाद उचित सजा देना,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के प्रावधानों के अनुसार।

105. डगडू और अन्य में v. महाराष्ट्र राज्य 1, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सांता सिंह (ऊपर) को संदर्भित किया और कहा

कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। चंद्रचूड़, जे. ने अभिनिर्धारित किया:

" 79. ..... न्यायालय, एक अभियुक्त को दोषी ठहराने पर,

निर्विवाद रूप से सजा के सवाल पर उसे सुनें। लेकिन अगर, किसी भी कारण से, यह ऐसा करने से चूक जाता है और आरोपी एक

उच्च न्यायालय में इसकी शिकायत होने पर, यह उस न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनवाई देकर उल्लंघन का निवारण करे। वह अवसर वास्तविक और प्रभावी होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को अदालत के समक्ष उन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वह सजा के प्रश्न पर प्रस्तुत करना चाहता है। अभियुक्त अपने वकील को मौखिक रूप से बात करने का निर्देश देकर उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

न्यायालय में प्रस्तुतियाँ या वह, शपथ पत्र पर या अन्यथा, सजा के प्रश्न पर न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी रखना चाहता है, उसे लिखित रूप में रख सकता है। न्यायालय, उपयुक्त मामलों में,

अभियुक्त को आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने और सजा के प्रश्न पर अपनी दलीलें देने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए मामले को स्थगित कर सकता है।

4 (1977) 3 एससीसी 68 [2019] 11 एस. सी. आर.

यह, शायद, अनिवार्य रूप से होना चाहिए जहां एक उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार दोषसिद्धि दर्ज की जाती है।

106. माची सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य 3, यह न्यायालय

" 38. ..... ((iv) उग्रता और शमन की एक तुलनपत्र

परिस्थितियों को तैयार करना होगा और ऐसा करने में

भरा हुआ

बनो।

परिस्थितियों को कम करना होगा

भार और एक न्यायपूर्ण संतुलन के बीच मारा जाना चाहिए इससे पहले की स्थितियों को बढ़ाना और कम करना

विकल्प का प्रयोग किया जाता है। '

107. संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। की स्थिति

', इस न्यायालय ने टिप्पणी की और अभिनिर्धारित किया:

" 157. आनुपातिकता का सिद्धांत, जो प्रतीत होता है

वह आधार जिस पर विद्वत विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड देने की नींव रखी

यहाँ अपीलार्थी पर, न्यायोचित तर्क का प्रावधान है

मृत्युदंड देने के लिए। हालांकि, किसी भी लागू करते समय

अभियुक्त पर सजा अदालत को भी ध्यान में रखनी चाहिए पुनर्वास का सिद्धांत। यह, धारा 354 (3) पर विचार करते हुए

यह निर्धारित करें कि क्या मामला सबसे दुर्लभतम के अंतर्गत आता है दुर्लभ मामला।

158. हमारी राय में, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दिए गए कारण,

बचन सिंह परीक्षा को संतुष्ट न करें। संहिता की धारा 354 (3)

एक अपवाद प्रदान करता है। के सिद्धांत का सामान्य नियम अतः आनुपातिकता लागू नहीं होगी। हमें पढ़ना चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में कहा गया प्रावधान भारत। बचन सिंह और माची सिंह द्वारा निर्धारित कानून

संहिता की धारा 354 (3) की व्याख्या की जानी चाहिए

हमारी संवैधानिक योजना का हिस्सा बनें।

159. यद्यपि संवैधानिक न्यायपीठ का निर्णय

बचन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है।

यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश कि कौन से मामले "दुर्लभतम" के अंतर्गत आते हैं दुर्लभ श्रेणी, फिर भी कम करने वाली परिस्थितियों में सूचीबद्ध

और निर्णय द्वारा समर्थित सुधार और पुनर्वास देता है

3) 3 एस. सी. सी. 470

9) 6 एस. सी. सी. 498 टी. टी. ए. टी. ए. @डी. ए. टी. ए. ए. ए. एम. बी. ओ. रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

बहुत महत्वपूर्ण है, यहां तक कि राज्य को यह साबित करने की आवश्यकता है कि यह संभव नहीं होगा, अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने से पहले एक पूर्व शर्त के रूप में। इसलिए हम केवल आनुपातिकता के आधार पर सजा निर्धारित नहीं कर सकते। हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी सुधार नहीं कर सकता है

और पुनर्स्थापित किया जाए।

162. इसके अलावा निर्विवाद रूप से, मृतक के शव के निपटारे का तरीका और तरीका घृणित था और वर्तमान मामले को सबसे अधिक गलत और अपमानजनक बनाने में एक लंबा रास्ता तय करता है। हत्या का घृणित मामला। हालाँकि, हमारी राय है कि एक शव के निपटान का मात्र तरीका इसके द्वारा नहीं हो सकता है

मृत्युदंड देने के उद्देश्य से किसी मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में शामिल करने का आधार बनाया जाए। इस पर कई अन्य लोगों के साथ विचार करना पड़ सकता है।

कारक।

108. अजय पंडित और एक अन्य वी। महाराष्ट्र राज्य ', न्यायालय ने फैसला सुनाया कि:

" 47. मृत्युदंड देना एक अपवाद है, नियम नहीं, और केवल दुर्लभतम मामलों में, अदालत मृत्युदंड दे सकती है। मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति की मानसिक स्थिति मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से समान नहीं हो सकती है। अदालत को प्रासंगिक तथ्यों को उजागर करने का कर्तव्य और दायित्व मिला है, भले ही आरोपी ऐसी स्थितियों में पूरी तरह से चुप रहा हो। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त से पूछताछ करते समय उन प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को सही परिप्रेक्षय में संबोधित नहीं किया है और इसलिए, ठीक से नहीं करने में प्रक्रिया की घोर त्रुटि की है।

उद्देश्य और उद्देश्य को आत्मसात करना और समझना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के पीछे।

109. मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य 3, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 22. "दुर्लभ में दुर्लभतम" का सिद्धांत दो पहलुओं को सीमित करता है।

और जब दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाता है तभी मृत्युदंड लगाया जा सकता है। सबसे पहले, मामला स्पष्ट रूप से गिरना चाहिए

2) 8 एससीसी 43

"दुर्लभतम से दुर्लभतम" के दायरे में और दूसरा, जब वैकल्पिक विकल्प को निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है। बचन सिंह ने अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड का चयन करने का सुझाव दिया, जब आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा हो।

व्यर्थ होगा और कोई उद्देश्य पूरा नहीं करेगा।

23. आजीवन कारावास में, प्राप्त करने की संभावना है

विभिन्न स्तरों पर निवारण, पुनर्वास और प्रतिशोध। लेकिन यही बात मृत्युदंड के मामले में लागू नहीं होती है। यह दोषी के पुनर्वास और सुधार की क्षमता की पूर्ण अस्वीकृति में अद्वितीय है। यह जीवन को बुझा देता है और इस तरह

अस्तित्व को समाप्त करता है, इसलिए, जीवन से संबंधित किसी भी चीज़ को समाप्त कर देता है। यह दो दंडों के बीच बड़ा अंतर है। इस प्रकार, मृत्युदंड देने से पहले, इस पर विचार करना अनिवार्य है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, "दुर्लभतम से दुर्लभतम" उक्ति, मृत्युदंड और आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा के बीच इस अंतर का संकेत देती है। यहाँ प्रासंगिक प्रश्न यह निर्धारित करना होगा कि क्या सजा के रूप में आजीवन कारावास व्यर्थ होगा और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी कारण से पूरी तरह से रहित होगा। के रूप में

ऊपर चर्चा की गई है, आजीवन कारावास कहा जा सकता है

पूरी तरह से व्यर्थ, केवल तभी जब सजा देने के सुधार के उद्देश्य को असंभव कहा जा सकता है। इसलिए, संतुष्ट करने के लिए

"दुर्लभतम से दुर्लभतम" सिद्धांत का दूसरा पहलू, अदालत को स्पष्ट सबूत देना होगा कि दोषी किसी भी प्रकार की सुधारात्मक और पुनर्वास योजना के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है।

110. पंची और अन्य में v. यू. पी. राज्य ', इस न्यायालय ने कहाः

" 20. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में हत्याओं में क्रूरता बड़ी होती है, विशेष रूप से बूढ़े और कोमल उम्र के बच्चे की। यह हो सकता है कि जिस तरीके से हत्याएं की गईं

यह अपने आप में कोई हल्का पक्ष नहीं दिखा सकता है, लेकिन इन हत्याओं में यह बहुत अजीब या बहुत खास नहीं है। जिस तरह से हत्या की गई थी, उसकी क्रूरता एक आधार हो सकती है, लेकिन यह निर्णय लेने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है कि क्या यह मामला 'दुर्लभतम मामलों में से एक' है जैसा कि बचन सिंह मामले में संकेत दिया गया है।

ख) 7 एस. सी. सी. 177 दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

111. बंटू वी में। M.P.[1]0 10 की स्थिति में इस न्यायालय ने पाया कि इस बात का संकेत देने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं था कि अपीलार्थी के पास कोई आपराधिक मामला था

पूर्ववृत्त और न ही यह कहा जा सकता है कि वह एक गंभीर खतरा होगा

बड़े पैमाने पर समाज इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा किया गया अपराध जघन्य था। इस न्यायालय ने कहा:

" 8. हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी परिस्थिति में, यह दुर्लभतम मामला नहीं है जहाँ अभियुक्त को मौत की सजा दी जानी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संबंधित दिन अभियुक्त की आयु 22 वर्ष से कम थी। यह उनका निवेदन है कि भले ही यह कृत्य जघन्य है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक पर कोई चोट नहीं पाई गई थी, यह संभव है कि घटना के समय आरोपी द्वारा उसके मुंह और नासिका [नासिका] को बंद करने के कारण मृत्यु हुई होगी ताकि वह शोर-शराबा न करे। उनके अनुसार, मृत्यु आकस्मिक और अनजाने में हुई थी। वर्तमान मामले में, इस बात का संकेत देने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड था और न ही यह कहा जा सकता है कि वह एक गंभीर खतरा होगा।

समाज को व्यापक रूप से। यह सच है कि उसका कृत्य जघन्य है और इसकी निंदा करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि यह दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला है जहां आरोपी को समाज से समाप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए, मौत की सजा देने का कोई उचित कारण नहीं है। (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

112. अमित वी. महाराष्ट्र राज्य के इस न्यायालय ने अपीलार्थी के पूर्व इतिहास को ध्यान में रखा और कहा कि पिछले किसी भी जघन्य अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि अगर उसे मौत की सजा नहीं दी गई तो वह समाज के लिए खतरा होगा। प्रासंगिक निष्कर्ष (पैराग्राफ 10) नीचे निकाला गया है:

" 10. अगला सवाल वाक्य का है। यह देखते हुए कि अपीलार्थी एक युवक है, घटना के समय उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी; वह एक छात्र था; पिछले किसी भी जघन्य अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वह एक अपराधी होगा। यदि मृत्युदंड नहीं दिया जाता है तो समाज के लिए खतरा है। हालांकि

अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध गंभीर है

निंदा और एक सबसे जघन्य अपराध है, लेकिन मामले के संचयी तथ्यों और परिस्थितियों पर, हमें नहीं लगता कि मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है।

10 (2001) 9 एस. सी. सी. 615

113. राहुल बनाम के मामले में। महाराष्ट्र राज्य 1 2 यह न्यायालय कि जेल अधिकारियों या परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आचरण के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी और ई का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था या कम से कम कुछ भी नहीं लाया गया था

न्यायालय का नोटिस। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 4. हमने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया है। यह सच है कि अपीलार्थी ने बहुत ही भयानक तरीके से एक गंभीर अपराध किया है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपराध के समय उसकी आयु 24 वर्ष थी। हालाँकि, अपीलार्थी तब से हिरासत में था जब से हमें अपीलार्थी के बारे में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी या जेल अधिकारियों द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। अपीलार्थी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और कुछ भी न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। यह. यह नहीं कहा जा सकता कि वह भविष्य में समाज के लिए खतरा होगा। अपीलार्थी की उम्र और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम नहीं सोचते कि उस पर मृत्युदंड लगाया जाना चाहिए।

114. इसी तरह, सुरेंद्र पाल शिवबलकपाल बनाम। गुजरात राज्य किसी भी पिछले आपराधिक मामले में किसी भी संलिप्तता का अनुमान थाउद्देश्यों के लिए विचार में लिया जाने वाला एक कारक होना चाहिए

उसमें अपीलार्थी को सजा देना। इस न्यायालय ने कहा:

" 13. अगला सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या यह "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला" है; हमें नहीं लगता कि यह "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला" है जिसमें दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी। घटना के समय अपीलार्थी की आयु 36 वर्ष थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी पहले किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल था और अपीलार्थी उत्तर प्रदेश का एक प्रवासी मजदूर था और निर्दोष परिस्थितियों में रह रहा था और यह नहीं कहा जा सकता है कि वह भविष्य में समाज के लिए खतरा होगा और इस तरह का निष्कर्ष निकालने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है। हमें नहीं लगता कि इस मामले में मौत की सजा का प्रावधान था। हम सभी मामलों में अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं, लेकिन उस पर मृत्युदंड की सजा दी जाती है।

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए जीवन में परिवर्तित किया जाता है।

कारावास "।

5) 10 एस. सी. सी. 322 15) 3 एस. सी. सी. 127 दत्तात्रेय @दत्त एंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

115. मुकेश और एक अन्य वी। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर विचार किया और सजा को कम करने के लिए परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अभियुक्त को शपथ पत्र दायर करने का अवसर देना उचित समझा।

116. अभियुक्त-अपीलार्थी को निर्णय और उसकी दोषसिद्धि का आदेश पारित होने के अगले दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत सुनवाई के लिए निचली अदालत में पेश किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने इस मुद्दे पर कोई दलील नहीं दी।

सजा का। यह निचली अदालत द्वारा दर्ज किया जाता है। अभियुक्त-अपीलार्थी ने केवल यह कहते हुए 'दोषी नहीं' होने का अनुरोध किया कि अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। निचली अदालत ने दर्ज किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता वाघचड़े ने कहा कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियुक्त 53 वर्ष का है, मृत्युदंड देने में अभियुक्त के प्रति नरमी दिखाई जानी चाहिए।

117. ट्रायल कोर्ट ने विद्वान विशेष लोक अभियोजक की इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं थीं

118. यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि मृत्युदंड देने में, विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया। मृत्युदंड की पुष्टि, अर्थात राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य "और मोहम्मद। मनन @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य 1 6. दोनों फैसलों की समीक्षा पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।

119. हारू घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने दो असहाय व्यक्तियों की बिना उनकी गलती के नृशंस हत्या के मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। हालाँकि, इस न्यायालय ने मौत की सजा को कम करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा:

कारक -

" आई. अभियुक्त की ओर से कोई पूर्व-ध्यान नहीं था;

ii. अभिनय पल भर के उत्साह पर था;

14 (2017) 3 एससीसी 717 1 5 15 आर. पी. (सी. आर. एल.) 2013 की संख्या 306-307 16 केस नं. 2011 का आर. पी. (सी. आर. एल.) सं. 308 सी. आर. एल. में। 2009 का ए. सं. 379 17 (2009) 15 एस. सी. सी. 551 [2019] 11 एस. सी. आर.

iii. अभियुक्त के पास कोई हथियार नहीं था।

iv. यह अज्ञात था कि आरोपी ने किन परिस्थितियों में मृतक के घर में प्रवेश किया था और उसे लड़के पर हमला करने के लिए क्या प्रेरित किया था; और

वी. जिस क्रूर तरीके से हत्या की गई वह मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता था और आरोपी के पास खुद दो नाबालिग थे

बच्चे "।

120. हारू घोष (ऊपर) में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की, ". जिस क्रूर तरीके से हत्या की गई थी और उसके बाद

शरीर के अंगों को काटने में अभियुक्त की ओर से कार्रवाई

मृतक स्वयं मृत्युदंड के पक्ष में मार्गदर्शक कारक न बनें।

121. लेहना बनाम हरियाणा राज्य "में, भले ही अपराध के कारण तीन लोगों की जान चली गई थी, इस अदालत ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करके सजा को संशोधित किया, यह देखते हुए कि अपराध करने के लिए किसी भी शैतानी योजना का कोई सबूत नहीं था, हालांकि यह कार्य क्रूर था। 122. इस मामले में भी अपराध करने की किसी भी शैतानी योजना का कोई सबूत नहीं है, हालांकि अपराध निस्संदेह क्रूर था।

और घृणित। किन परिस्थितियों में पीड़ित ने अभियुक्त-अपीलार्थी के आवास में प्रवेश किया, यह ज्ञात नहीं है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी पीड़ित को अपने घर ले गया था। हालाँकि इसकी संभावना नहीं है, हो सकता है कि वह अपने दम पर उसके घर भी गई हो। 123. भारतीय दंड संहिता और विशेष रूप से इसकी धारा 299 के तहत, जो कोई भी इरादे से कोई कार्य करके मौत का कारण बनता है।

मृत्यु कराने का या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो या इस ज्ञान के साथ कि इस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, गैर-इरादतन हत्या का अपराध करता है।

124. आई. पी. सी. की धारा 300 की परिभाषा के अनुसार, उसके बाद के मामलों को छोड़कर, गैर-इरादतन हत्या हत्या है।

जो मृत्यु हुई है (i) मृत्यु करने के इरादे से की गई है या (ii) यदि यह ऐसा शारीरिक नुकसान करने के इरादे से किया गया है जो अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है या (iii) यदि यह कार्य किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया गया है और शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा है:

प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है या (iv) यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि इसे, कुल मिलाकर, मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना है और मृत्यु या ऐसी चोट का जोखिम पैदा करने के लिए बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करता है जैसा कि ऊपर कहा गया है।

125. पचास वर्ष से अधिक आयु के एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में, अभियुक्त अपीलार्थी को यह पता होना चाहिए था कि एक वयस्क द्वारा पाँच वर्षीय बच्चे का बलात्कार खतरनाक था और इससे ऐसी चोटें लग सकती थीं, जिससे मृत्यु होने की पूरी संभावना थी।

126. मृतक पीड़ित की मृत्यु किसी उकसावे के कारण नहीं हुई थी, अचानक उकसावे की बात नहीं है। ऐसा कोई बचाव नहीं है

128. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले पीडब्लू-1, डॉ. भूषण जैन ने कहा कि मौत का कारण दम घुटने के कारण दम घुटना था। सिर की चोटों और यौन हमले से संबंधित। डॉ. भूषण जैन ने अपदस्थ किया कि सभी 5 चोटें बार-बार यौन क्रियाओं और बलपूर्वक प्रवेश से संभव थीं। उन्होंने कहा कि सभी चोटें सामान्य रूप से तत्काल मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।

129. लगभग 50 वर्ष की आयु का पुरुष होने के नाते, अभियुक्त-अपीलार्थी को पता होना चाहिए था कि बार-बार यौन उत्पीड़न का कारण बन सकता था

पीड़ित की मृत्यु और वास्तव में केवल पाँच साल की उम्र में पीड़ित की मृत्यु हो गई। अभियुक्त-अपीलार्थी को बाल बलात्कार के अलावा हत्या का भी दोषी ठहराया गया है। हालाँकि, ऐसा कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत नहीं है जो यह स्थापित करे कि अभियुक्त का इरादा

अपीलार्थी को मृतक पीड़ित को मारना था।

130. हमारे सामने साक्षय की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हैं। हालाँकि, डॉ. भूषण जैन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साक्षय को देखते हुए, हम सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदलना उचित समझते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

131. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या विवेक को झकझोर देती है। यह बर्बर है। हालाँकि, इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि हत्या पूर्व-नियोजित थी। याचिकाकर्ता के पास कोई हथियार नहीं था। इस संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को यह एहसास नहीं हुआ होगा कि उसके कार्य से मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा, निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से इस सवाल पर विचार नहीं किया है कि क्या अपराध दुर्लभतम अपराधों में से सबसे दुर्लभ है जैसा कि बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किया गया है।

132. समीक्षा याचिका (सीआरएल) में 2013 का No.306-307 (राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य) न्यायालय ने परिवर्त्तित किया

मृत्युदंड, तीन साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में आजीवन कारावास, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखते हुए कि मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है।

133. जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया, उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए अपराध को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में पाया।

134. अभियुक्त के वकील-अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि अपराध की क्रूरता और पीड़ित की उम्र मौत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थी

वाक्य। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दोषपूर्ण जांच के आधार पर परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर दोषी ठहराया गया था।

135. हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अभियुक्त-अपीलार्थी की पत्नी, आशा, पीडब्लू-18 के साक्षय के आलोक में फोरेंसिक साक्षय का अर्थ है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके सामने अपराध स्वीकार कर लिया था, अभियुक्त-अपीलार्थी का अपराध स्थापित करता है और मौत की सजा तब भी दी जा सकती है जब दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर हो, बशर्ते कि मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी में आता हो और कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ न हों और दोषी के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना न हो। 136. राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक बनाम के मामले में 2013 की समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 306-307 में तर्क के सादृश्य पर। राज्य

महाराष्ट्र का यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश है कि यह मामला यह दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा, अभियुक्त अपीलार्थी का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं किया गया था। का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील

अभियुक्त-अपीलार्थी ने केवल इस बात पर जोर देते हुए कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और केवल अभियुक्त-अपीलार्थी की उम्र के आधार पर नरमी की मांग की जो 53 वर्ष थी।

137. अभियुक्त-अपीलार्थी ने न तो अनुरोध किया और न ही उसे कोई हलफनामा दायर करने का अवसर दिया गया, जो अभिलेख में प्रासंगिक शमन प्रस्तुत करता है। परिस्थितियाँ। अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा ली गई कानूनी सहायता स्पष्ट रूप से संतोषजनक नहीं थी और उसके साथ कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था। रिकॉर्ड पर शमन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया

परिस्थितियाँ। इस आशय का कोई तर्क नहीं दिया गया कि अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं था। किसी भी तर्क के अभाव में, निचली अदालत ने इस सवाल पर विचार नहीं किया कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी में सुधार किया जा सकता है।

138. पाँच साल के बच्चे के खिलाफ अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने बिना किसी अपराध के मौत की चरम सजा सुनाई।

इस सवाल का निर्णय करना कि क्या लागू करने का कोई विकल्प नहीं था अभियुक्त पर मृत्युदंड-अपीलार्थी। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि मृत्युदंड के अभाव में, अभियुक्त-अपीलार्थी समाज के लिए खतरा बना रहेगा। यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी में सुधार किया जा सकता है, इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था।

139. जैसा कि दगड़ू (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, चाहे ये मुद्दे अभियुक्त की ओर से उठाए गए हों, न्यायालय स्वयं ही कम करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व के प्रश्न से संबंधित तथ्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने सजा से संबंधित किसी भी तथ्य को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया।

140. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत प्रभावी सुनवाई के लिए, यह सुझाव कि अदालत का इरादा मौत की सजा देने का है, विशेष रूप से आरोपी को दिया जाना चाहिए, ताकि आरोपी अदालत के समक्ष कम करने वाली परिस्थितियों में मौत की सजा के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसा नहीं किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने प्रासंगिक तथ्यों को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया, न ही ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड पर कम करने वाले कारकों को रखते हुए एक हलफनामा दायर करने का कोई अवसर दिया। इस प्रकार याचिकाकर्ता को प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया है।

141. इस न्यायालय के कथन के विपरीत, अन्य बातों के साथ-साथ, दगड़ू (ऊपर) और सांता सिंह (ऊपर) में याचिकाकर्ता को सजा के प्रश्न पर वास्तविक, प्रभावी और सार्थक सुनवाई नहीं दी गई थी। Cr.P.C की धारा 235 (2). याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा इस आधार पर आजीवन कारावास में परिवर्तित की जा सकती है।

142. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पाँच साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या बिल्कुल जघन्य और बर्बर है, लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

143. मुल्ला में और एक अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य, इस न्यायालय ने पुष्टि की है कि यह न्यायालय के लिए कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए खुला है। यह विशेष रूप से उन मामलों में सच है जहां मौत की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया गया है। इस न्यायालय ने कहा, "न्यायालय को कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो किए गए अपराध के लिए पर्याप्त होगा।"

144. भले ही आजीवन कारावास का अर्थ है पूरे जीवन के लिए कारावास, दोषियों को अक्सर राहत और/या सजा में छूट दी जाती है। कम से कम 14 साल के कारावास के बाद। इस मामले में, अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध की जघन्य, विद्रोही, घृणित और घृणित प्रकृति को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि अपीलार्थी को अपनी स्वाभाविक मृत्यु तक आजीवन कारावास से गुजरना चाहिए और उसे सजा की कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए।

145. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि वर्तमान अपील ऐसे मामलों में से एक है जहां हमें अभिनिर्धारित करना उचित होगा।

कि अभियुक्त के स्वाभाविक जीवन तक कारावास-अपीलार्थी विशिष्ट तथ्यों पर विचार करते हुए सजा के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करेगा और वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ। तदनुसार, निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को एतद्द्वारा "आजीवन कारावास" यानी अपीलार्थी के प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास में संशोधित किया गया है। ऊपर बताई गई सीमा के अनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी 19 19 (2010) 3 एस. सी. सी. 508